लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29—सोमवार, 3 सितम्बर, 1973/12 भाद्र, 1895 (शक)

No. 29— *Monday, September* 3, 1973/*Bhadra* 12, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Motion for Adjournment (Query).	1-4
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	4-7
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Offices of Profit—	
छटा प्रतिवेदन	Six Report	7
दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र (मिल्कशेड एरिया) के सीमांकन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 368 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to S.Q. No. 368, Re : Demarcation of milkshed area of Delhi Milk Scheme	7-8
दक्षिण मध्य रेलवे पर मुख्य यातायात रुक जाने के संबंध में वक्तव्य—	Statement Re : Stoppage of Trunk Traffic on South Central Railway.—	
श्री ललित नारायण मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	8-9
ग्रामोफोन रिकार्डों में ई० एम० आई०/एच० एम० वी० के एकाधिकार के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by member re: Monopoly of EMI/HMV in Gramophone Records.—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye. .	9-10
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam .	10-11
मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव—वापिस लिया गया	Motion of No-confidence in the Council of Ministers—Withdrawn. . . .	11-12
प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	Direct Taxes (Amendment) Bill—Introduced. . . .	12
कुछ राज्यों में आयी बाढ़ों के बारे में—	Re : Floods in some States .	13
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक—चर्चा स्थगित	Code of Criminal Procedure Bill—Debate adjourned.	
खंड 436 से 484 और पहली और दूसरी अनुसूचियां	Clauses 436 to 484 and first and second schedules. . .	13-35 47-49
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Flood situation in the country.—	
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai . .	36
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara .	36
श्री वेकारिया	Shri Vekaria . . .	36

1—25 L. S. S./73

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	36-37
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta .	37
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki .	37
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	37-38
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	38
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	38-39
श्री डी० एन० तिवारी .	Shri D. N. Tiwary . .	39-40
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	40
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi . .	40
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan .	41
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel .	41
श्री श्याम सुन्दर महापात्रा	Shri Shyam Sunder Mohapatra. . . .	41
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	42
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D. P. Jadeja . .	42
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma .	42
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha .	42-43
श्री मूल चन्द्र डागा	Shri M. C. Daga . .	43
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki .	43
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	43
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	43-46
चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Takeover of wholesale Trade in rice.—	
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed. . .	47
कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक—	Coking and Non-coking coal mines (Nationalisation) Amendment Bill—	
राज्यसभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha. . .	
श्री० टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . .	49
अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में—	Re: Short Notice Questions. .	50

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 सितम्बर, 1973/12 भाद्र, 1895 (शक)
Monday, September 3, 1973/ Bhadra 12, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)
RE : ADJOURNMENT MOTION (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है आपका उस बारे में क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : हमने यह निर्णय किया है कि इस सत्र के इन तीन दिनों के दौरान हम किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नही करेंगे और दुसरे, एक अविश्वास का प्रस्ताव पहले से ही रखा गया है। साथ ही इस प्रस्ताव का विषय स्थगन प्रस्ताव के अनुकूल नहीं है। आप योजना पर की जा रही चर्चा में इस विषय को ले सकते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस स्थगन प्रस्ताव को लाने का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने इस सत्र के प्रारम्भ में संसद को और देश को यह आश्वासन दिया था कि आगामी खरीफ की चावल की फसल से सरकार चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में ल रही हैं, पर प्रधान मंत्री से पिछले शुक्रवार को हुई हमारी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब इससे पीछे हट रही है। प्रधानमंत्री आज अल्जीरिया जा रही हैं। संसद दो दिन में स्थगित होने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्वी क्षेत्र को विशेष कर चावल उगाने वाले क्षेत्रों को फिर से चोर बाजारी करने वालों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। यह एसा विषय नहीं कि इस पर पंचवर्षीय योजना के बारे में की जा रहीं चर्चा पर विचार किया जाए

अध्यक्ष महोदय : चावलों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना नीति का एक प्रश्न हैं। यह किस स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं हो सकता। अब कोई विशेष बात नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार बहुत समय से कहती आई है कि वह आगामी खरीफ की फसल से चावल के व्यापार को अपने हाथ में लेने के निर्णय को क्रियान्वित करने जा रही है, पर अब वह अपने वचन से पीछे हट गई है। इससे बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यदि आपको यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं तो फिर हम यह आश्वासन चाहते हैं कि प्रधान मंत्री के विदेश जाने से पहले उस निर्णय को कार्यान्वित कर दिया जाएगा जो कि उन्होंने आने वाली खरीफ की फसल से चावल का थोक व्यापार अपने हाथों में लेने के संबंध में लिया था। 90 प्रतिशत कांग्रेसी इसके पक्ष में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने हेतु सभा की अनुमति लेना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप के निदेश के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव पहले लिया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव उसके पश्चात्। सभा को पता होना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। सरकार ने खरीफ की अगली फसल से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का जो आश्वासन दिया था उसे कार्यान्वित करने में हुई असफलता के परिणामस्वरूप यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है और ऐसा करके सरकार जमींदारों, चावल मिल मालिकों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के दबाव में आकर लोगों के हितों पर आघात कर रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker Sir, I want to raise a point of order. This is not the first time that an adjournment motion is being moved....

Shri Madhu Limay (Banka) Mr. Speaker Sir, I am also standing on a point of order Rule 58(6) about adjournment motion is very clear. It clearly states that the motion shall not anticipate a matter which has previously been appointed for consideration..... The motion for adjournment can be taken up only when there is no other motion coming up on which a discussion must take place. The motion of non-confidence given notice of by Shri Jyotirmoy Bosu and Shri Samar Guha is before the Speaker. This is a mandatory motion. If the House do not take it up then I will not come in the way of Shri Indrajit Gupta.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Indrajit Gupta can support this motion.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस विशेष मामले को प्रकाश में लाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इस मामले पर गड़बड़ी कर रही है और हमें उनसे आश्वासन लेना चाहिए। सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव में लिया जा सकता है। हमें इस आशय वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं कि सरकार सिद्धान्त रूप में चावल के व्यापार को अपने हाथ में लेने के पक्ष में है। हमें आश्वासन चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the meeting called by the Prime Minister, where C.P.I. members were also present, it was decided that the descussion would continue on 6th unless these talks are over, how can the Government make a statement?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जैसाकि माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने बताया, हम इस विषय पर 6 तारीख को पुन: चर्चा करेंगे और जब तक बात पूरी न हो जाए सरकार कोई वक्तव्य कैसे दे सकती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केरल में श्री इन्द्रजीत गुप्त की सरकार ने चावल का अधिग्रहण नहीं किया है। अत: वह अपनी सरकार में जो करना नहीं चाहते वह उसे यहाँ कराना चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : शायद सरकार अभी इस सम्बन्ध में पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह किया जाए अथवा नहीं। ऐसे में हम उनकी किसके लिए निन्दा करें। हो सकता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में साजिश ही हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि क्यों मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दे रहा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अविश्वास प्रस्ताव का एक कारण सरकार का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने में असफल होना है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अविश्वास प्रस्ताव में सभी समस्याओं पर चर्चा होगी तथा चावल के व्यापार को हाथ में लेने की समस्या उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है । श्री इन्द्रजीत गुप्त का इस पर जोर देना स्वाभाविक है और इस सम्बन्ध में वे अविश्वास प्रस्ताव के समय बोल सकते हैं । चूंकि अभी विरोधी पक्षों के नेताओं के साथ की जा रही चर्चा पूरी नहीं हुई है । इसलिए सरकार वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं है । आप केवल इस सत्र की अवधि एक दो दिन और बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ माननीय सदस्यों ने और श्री समर गुह ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में चावल के व्यापार के अधिग्रहण के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है । यह ठीक नहीं है । श्री दिनेन भट्टाचार्य का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का एक कारण चावल व्यापार को अपने हाथ में लेने में असफलता है. . . **(व्यवधान)** इस स्थगन प्रस्ताव को गृहीत किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे मे निदेश पूर्णतया स्पष्ट हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि खरीफ मौसम व्यापार को नियंत्रण में लेने की बात को अनिवार्य नहीं किया जायगा । वे अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाहते थे । हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन न करने में स्वतंत्र हैं । यदि माननीय सदस्य समर्थन करना चाहते हैं तो कर सकते है परन्तु हम इसके लिए तैयार नही हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

स्वीकृत नियमों के अनुसार यदि सभा में कोई प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर हो, तो उस प्रस्ताव को, जिसपर प्रस्ताव निर्भर हो, प्राथमिकता दी जानी चाहिए । अतः अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानीं चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आपके विनिर्णय को स्वीकार करेंगे परन्तु क्या आप मंत्री महोदय से कहेंगे कि वह सदन में आश्वासन दें ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : न तो आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं और न ही सरकार कोई आश्वासन दे रही है । क्या यही स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

अविश्वास प्रस्ताव के रूप में एक स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष आ रहा है । यदि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना होगा ।

वादविवाद के दौरान माननीय मंत्री इस विषय विशेष के बारे में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे । परन्तु यदि अविश्वास प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं आता तो भी मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम वक्तव्य से संतुष्ट नही हैं । हम स्पष्ट आश्वासन चाहते है ।

अध्यक्ष महोदय : यह काम माननीय मंत्री का है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता जिसमें जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के चैम्पियन अन्तर्ग्रस्त हैं। **(व्यवधान)**

इसके पश्चात श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Indrajit Gupta and Some other hon. Members then left the House.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश नगर निर्माण (किराये पर देने किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पास्वान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निर्माण (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 42 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या 7352/29-ई०-55-73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक 1 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5593/73]**

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हैदराबाद नगर निगम (संशोधन) संशोधी अधिनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 5) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5594/73]**

नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)—के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

भाग छ:—हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग सात—भारतीय तेल निगम लिमिटेड के विपणन प्रभाग के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग आठ—माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5595/73]

मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एम० बी० राना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा

133 उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 660 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 21 जून, 1973 में प्रकाशित हुये थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 812 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुये थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाल दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5596/73]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आदेश

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उत्तरी चावल क्षेत्र (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदश 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 397 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5597/73]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1972–73 के उत्पादन का मूल्य निर्धारण) तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध मे राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिसुचनाएं

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1972–73 के उत्पादन का मूल्य निर्धारण) पांचवां संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 392 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5598/73]**

(2) (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 621 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषद् के अन्तर्गत संस्थापनाओं सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 59 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या जी० ओ० 89 दिनांक 21-4-1966 में कतिपय संशोधन किया गया है और एक शुद्धि पत्र तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 591 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषदों के अन्तर्गत मोटरवैन और जीप चालकों के पदों सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(चार) जी० ओ एम० संख्या 612 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिनके द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषद् (जिला और खण्ड संवर्ग—गैर-सरकारी कर्मचारी) के अन्तर्गत संस्थापना सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 93 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद् अनुसचिवीय सेवा नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(छः) जी० ओ० एम० संख्या 119 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे जिनमें पंचायत समितियों और जिला परिषदों की संयुक्त मोहर के प्रयोग सम्बन्धी नियम दिये हुए हैं और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(सात) जी० ओ० एम० संख्या 120 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा जिला परिषद् के सचिव के अधिकारों और कृत्यों सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5599/73]**

चाय बोर्ड के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं चाय बोर्ड के वर्ष 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरिक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखे का विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5600/73]**

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स के प्रमाणित लेखे, आदि

शिक्षा और समाजकल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति और तत्सम्बन्धी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इण्डियन स्कुल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (दो) में उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5601/73]

(3) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–5602/73]

(4) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की धारा 68 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निवारण) (पहला) आदेश, 1973 जो उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या शिक्षा (10)/6334–15–60(61)–73 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निवारण) (दूसरा) आदेश, 1973 जो उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या शिक्षा (10)/6335–15–60(61)–73 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयो का निवारण) (तीसरा) आदेश 1973 जो उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या शिक्षा (10)/6336–15–60(61)–73 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–5603/73]

लाभ के पदों सम्बंधी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

छठा प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकरधार) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का छ ा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध-प्राप्ति क्षेत्र (मिल्क शैड एरिया) के सीमांकन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 368 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 368 RE: DEMARCATION OF MILK SHED AREA OF DELHI MILK SCHEME

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में 20 अगस्त, 1973 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 368 के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा राजस्थान के जिस क्षेत्र से दूध एकत्रित किया जाता है और जो आपरेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत आता है उसमें अलवर और बीकानेर के जिले शामिल हैं। राजस्थान में भरतपुर का जिला भी दिल्ली दुग्ध योजना के आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अन्तर्गत दुग्ध क्षेत्र में शामिल है। इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में शब्द 'भरतपुर' गलती से रह गया था। तदनुसार उत्तर के भाग (ख) (4) को इस प्रकार पढ़ा जाए 'राजस्थान में अलवर, भरतपुर और बीकानेर'।

[प्रो० शेर सिंह]

उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर को भी मैं निम्नलिखित ढंग से ठीक करना चाहता हूं:–

"(ग) तथा (घ) उत्तर प्रदेश सरकार आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अन्तर्गत मुरादाबाद को दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्र में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। यह प्रस्तावित किया गया है कि जिला मथुरा को मुरादाबाद की जगह शामिल कर लिया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है।"

दक्षिण मध्य रेलवे पर मुख्य यातायात रुक जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: STOPPAGE OF TRUNK TRAFFIC ON SOUTH CENTRAL RAILWAYS

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : 1952 में भारतीय रेलों का छ: मुख्य समेकित क्षेत्रों में पुनर्गठन किया गया था। कुछ समय बाद, 1955 में पूर्व रेलवे में से दक्षिण-पूर्व रेलवे बनायी गयी। इस के बाद 1958 में पूर्वोत्तर रेलवे में से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे बनायी गयी। इस प्रकार, परिवहन की बढती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बड़ी-बड़ी तथा दूर-दूर तक फैली हुई क्षेत्रीय रेलों को उप भागों में बांटना पड़ा ताकि क्षेत्रीय इकाइयों को सगठन की दृष्टि से अधिक प्रबन्धनीय बनाया जा सके। किसी भी प्रकार का पुनर्समूह अथवा पुनर्गठन करते समय परिचालनिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुकूलता एवं प्रभावकारिता के हित में सभी अंगों तथा घटकों का अनिवार्य रूप से समायोजना करना ही पड़ता है।

दक्षिण मध्य रेलवे 1966 में मुख्यत: दक्षिण रेलवे के दो मण्डलों और मध्य रेलवे के दो मण्डलों को मिला कर बनायी गयी थी। समय-समय पर शोलापुर मण्डल को मध्य रेलवे में मिलाने की मांग की जाती रही है। 1972 के मध्य में यह मांग अधिक ज़ोर पकड गयी क्योंकि स्थानीय हितों ने इस में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरुप 21 जून, 1972 से लगभग एक सप्ताह के लिए न केवल क्रमिक अनशन किये गये बल्की गाड़ी परिचालन में भी अक्सर बाधाएं डाली गयीं। जो भी पुनर्गठन किया जाता है उसमें समायोजन सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो जाती हैं लेकिन सरकार अपने सामने उपस्थित होनेवाली समस्याओं पर निरंतर पुर्नविचार करती रही है ताकि उन्हें यथासम्भव दूर किया जाये। 1972 में यह फसला किया गया था कि दक्षिण-मध्य रेलवे के शोलापुर मण्डल के लिए भर्ती रेल सेवा आयोग बम्बई द्वारा की जायेगी न कि मदरास स्थित आयोग द्वारा। दिसम्बर 1972 में सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस मण्डल में पडने वाले क्षेत्र के संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जो शोलापुर मण्डल के कार्य-संचालन के प्रशासनिक तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार करेगी और प्रशासनिक, आर्थिक और परिचालनिक मामलों के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। उपर्युक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि रेल उप मंत्री श्री मोहम्मद शफी कुरेशी और तीन संसद् सदस्यों की एक समिति बना दी जाये। समिति की पहली बैठक 1 सितम्बर, 1973 को रखी गयी।

शोलापुर मण्डल में हाल के आंदोलन 15 अगस्त, 1973 से बाहरी व्यक्तियों और कुछ रेल कर्मचारियों की भूख हड़ताल के साथ शुरू हुए। ये आंदोलन समिति की नियुक्ति की पृष्ठभूमि में फिर से पुर्ण विलयन के समर्थन में किये गये। 29 अगस्त से भूख हड़ताल में तेजी आ गयी और रेल कर्मचारियों ने काम करना बन्द कर दिया जिससे गाड़ियों का चलना रुक गया।

उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच माल की ढुलाई के लिए शोलापुर मण्डल में धौंड जंकशन पर यातायात का विनिमय अत्यावश्यक है। आंदोलन के कारण 10,000 से अधिक माल डिब्बे अटके पड़े हैं और लगभग 70 गाड़ियां दक्षिण-मध्य और निकटवर्ती रेलों पर मार्ग में रुकी पड़ी है। महाराष्ट्र, मैसूर, केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न, पैट्रोलियम उत्पादन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के संचलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हैदराबाद क्षेत्र में औद्योगिक एवं घरेलू खपत के लिए द्रव पैट्रोलियम गैस की सप्लाई भी कट गयी है।

मालगाड़ियों पर बुरा प्रभाव पड़ने के अलावा, यात्री गाड़ियां भी गम्भीर रूप से दुष्प्रभावित हुई हैं। 29 और 31 अगस्त के बीच तीन दिनों में बड़ी लाइन की 20, मीटर लाइन की 2 और छोटी लाइन की 40 गाड़ियां पूर्णतः रद्द कर देनी पड़ी और बड़ी लाइन की 21, मीटर लाइन की 14 और छोटी लाइन की 3 गाड़ियां आंशिक रूप से रद्द करनी पड़ी।

तीन संसद् सदस्यों को लेकर रेल उप मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की पहली बैठक शनिवार, 1 सितम्बर, 1973 को हो चुकी है। समिति के तीन संसद् सदस्यों द्वारा एक अपील भी जारी की गयी है कि आंदोलन वापिस ले लिया जाय और वे अपने विचार विमर्श में इस मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा रेल कर्मचारियों की सभी उचित शिकायतों को दूर करवाने का प्रयत्न करेंगे। शोलापुर मण्डल के कर्मचारियों व उस क्षेत्र के सभी लोगों से की गई इस अपील में मैं भी शामिल हूं कि इस आंदोलन को तत्काल समाप्त कर दिया जाय क्योंकि इसे और अधिक जारी रखने से देश की अर्थ-व्यवस्था पर गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामोफोन रिकार्डों में ई० एम० आई०/एच० एम० वी० के एकाधिकार के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE: MONOPOLY OF EMI/HMV IN GRAMOPHONE RECORDS.

श्री मधु लिमये (बांका) : अतारांकित प्रश्न संख्या 1586 में जो ई० एम० आई०/एच० एम० वी० (ग्रामोफोन रिकार्ड कम्पनी) के बारे में था और जिसका उत्तर एक अगस्त, 1973 को दिया गया था, मैंने पूछा था कि क्या कम्पनी कलाकारों और दुकानदारों का शोषण करने के लिए अपनी एकाधिकार की स्थिति का उपयोग कर रही है और मंत्री महोदय का उत्तर था कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। जब मैंने मंत्री महोदय के असत्य और भ्रामक वक्तव्य की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया तो अपनी गलती मानने के बजाय मंत्री महोदय ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जिससे मामला और पेचिदा बना दिया गया और इस आरोप को सिद्ध कर दिया कि वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

एच० एम० वी० के दुकानदारों की शिकायत पर 28 नवम्बर, 1970 को मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री को एक लम्बा पत्र लिखा था जिसमें एच० एम० वी० द्वारा अपने दुकानदारों से किए गए करार में एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करने वाले खंडों को रखने की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। उस पत्र में मैंने कई बातें उठाई थीं और सरकार से स्वदेशी फर्मों का समर्थन करने वाले सिद्धान्त को भी अपनाने का अनुरोध किया था। मैंने बताया था कि देश भर में एच० एम० वी० के 1,000 वितरकों और दुकानदारों का जाल है। वितरण ही एक मात्र साधन है जिसका उपयोग कोई अन्य नई कम्पनी नहीं कर सकती। इन दुकानदारों को एक लिखित बचन देना पडता है कि कम्पनी द्वारा बेचने को लिखित अनुमति लिये बिना वे उनके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले माल के साथ प्रतियोगित करने वाली किसी वस्तु को बेच अथवा बेचने में मदद नहीं कर सकते। यह उक्त अधिनियम की धारा 2 (ओ०) के अधीन नियंत्रित व्यापार है।

अपने पत्र में मैंने यह भी लिखा था कि यह कम्पनी कलाकारों और संगीतकारों से दीर्घावधि करार करती है। अपने करार के दौरान ये संगीतकार किसी अन्य कम्पनी को अपना संगीत नहीं दे सकते हैं। अतः यह एकाधिकार का एक अद्भुत मामला है। मैंने पत्र में यह भी बताया था कि कम्पनी ने इस क्षेत्र में आने वाली नई कम्पनी की वस्तुयें बेचने का अधिकार लेने के कारण बहुत से दुकानदारों से अपना संबंध समाप्त कर दिया था।

[श्री मधु लिमये]

यदि सरकार देशी एककों को प्रोत्साहन देने, उपभोक्ताओं, कलाकारों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करने लिए इन गतिविधियों को कठोरता से नहीं समाप्त करती तो यह सरकार के पवित्र कर्तव्य और वास्तविक कार्य में बढते हुए अंतर का एक और प्रमाण होगा।

तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री श्री दिनेश सिंह ने मेरे द्वारा सुझाए गए स्वदेशी तथा देशी उद्योग संबंधी सिद्धान्तों से सहमत होते हुए यह आश्वासन दिया था कि मैं मामले की जांच कर रहा हूं।

8 दिसम्बर, 1970 को मैंने इस सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 पूछा जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने एच० एम० वी० संबंधी जानकारी एकत्र कर लोक सभा पटल पर रखने का आश्वासन दिया।

लेकिन यह जानकारी संसद् के सम्मुख कभी नहीं रखी गई। अब इस लोकसभा में जब मैंने मामला पुनः उठाया तो मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है। क्या यह उत्तर सही है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : ई० एम० आई० एच० एम० वी० की ग्रामोफोन के रिकार्डों के उत्पादन और विपणन में अभिकथित प्रमुखशाली स्थिति और ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लि० की एकाधिकारपूर्ण स्थिति के कारण इसके द्वारा कलाकारों और विक्रेताओं के अधिकथित शोषण संबंधी अतारांकित प्रश्न सं० 1586 के बारे में प्रश्न के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त कम्पनी एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक प्रमुख उपक्रम है तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास दर्ज ग्रामोफोन रिकार्ड का उत्पादन करने वाला एक मात्र एकक है। जहां तक भाग (ग) में उल्लिखित कम्पनी द्वारा कलाकारों और विक्रेताओं का अभिकथित शोषण किये जाने का प्रश्न है उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

औद्योगिक विकास मंत्री को लिखें गए दिनांक 28-11-70 के अपने पत्र में श्री मधु लिमये ने अन्य बातों के साथ लिखा था कि "इस कम्पनी के साथ किये जाने वाले करारों में गायकों और कलाकारों को दीर्घकालीन संविदा करनी पड़ती है। संविदा की इस अवधि में कलाकार अपना संगीत किसी अन्य कम्पनी को नहीं दे सकते। अतः कार्यरूप में यह एकाधिकार का एक चिरप्रतिष्ठ मामला है।" मामले की पड़ताल करके बताई गई बातों की जांच की गई है। मान्य सदस्य द्वारा दुहराई गयी कुछ बातों का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

यह उल्लेखनीय है कि ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुसूचित उद्योग नहीं है।

मै० ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया का पंजीकरण एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रमुख उपक्रम के रूप में किया गया था। ज्ञात हुआ है कि कम्पनी अपने अनेक ग्राहकों —गायक-वादक कलाकारों के साथ व्यक्तिगत संविदा करती है। संविदाओं की शर्तें कलाकारों की सापेक्षिक प्रतिष्ठा, उनके प्रति जनरुची तथा इसी प्रकार की अन्यान्य विचारणीय व्यापारिक बातों के आधार पर प्रत्येक कलाकार के साथ भिन्न भिन्न होती हैं। यह भी प्रतीत होता है कि एक अन्य ग्रामोफोन कम्पनी द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिससे इस मामले का पता किया गया था बताया है कि उनका इस संबंध में कुछ कर्तव्य नहीं है। इस मंत्रालय को भी विक्रेताओं अथवा कलाकारों के साथ कम्पनी द्वारा अनुचित व्यवहार किये जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

उत्पादन आंकड़ों से सम्बन्धित तथ्यों का स्पष्टीकरण चालू सत्र के अतारांकित प्रश्न सं० 1586 के उत्तर में पहले ही किया जा चुका है। यह कथनीय है कि एक लघुउद्योग एकक मै० पोलीडर आफ इंडिया में उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा बम्बई के दो अन्य एककों--मै० वर्मटरमीर इंडस्ट्रीज और मै० ज्योति रिकार्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को उत्पादन की अनुमति दे दी गई है ऐसा ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया के इस क्षेत्र में एकाधिकार को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। इन दोनों एककों की कुल उत्पादन क्षमता 60 लाख नग प्रति वर्ष होने की आशा है।

इसी विषय पर इससे मिलता जुलता एक अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 माननीय सदस्य द्वारा 18-2-1970 को उठाया गया था उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था कि उठाये गए मुद्दों पर जानकारी इकट्ठी की जायेंगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी। प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को कम्पनी कार्य विभाग को भेजा गया था और उन पर अभी तक पत्राचार चल रहा है। यह समझा जाता है कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा मामले की सुनवाई के लिए अभी भी तिथि निर्धारित की जानी है किन्तु सितम्बर, 1973 में प्रारंभिक सुनवाई होने की आशा है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निर्णय उपलब्ध नहीं हो जाते आश्वासन् पूरा नहीं किया जा सकता।

यह मंत्रालय उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आने वाली लाइसेंस और उत्पादन सम्बन्ध समस्याओं से सम्बन्धित है। ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इस मामले में कम्पनी के प्रभावशाली उपक्रम के रूप में पंजीकृत होने संबंधी तथ्य का सुनिश्चय कर लिया गया है तथा इसकी पुष्टि अतारांकित प्रश्न सं० 1586 के उत्तर में की जा चुकी है। कम्पनी के वाणिज्यिक कार्यों से सम्बद्ध अन्य प्रश्न इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते। इस प्रकार की कम्पनियों के वाणिज्यिक कार्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य के सम्बन्ध में केवल एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ही अपना निर्णय दे सकता है। इन परिस्थितियों में मेरा सदन से सम्मान पुरस्सर निवेदन है कि इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी को दबाने अथवा किसी भी प्रकार सदन को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, एक श्री ज्योतिर्मय बसु से और दूसरा श्री समर गुह से।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

(व्यवधान)

श्री श्याम नंदन मिश्र (बेगुसराय) : इस सरकार ने देश को अपूर्व संकट में डाल दिया है। इसे देखते हुए हमने यह निश्चय किया है कि यह प्रस्ताव इस महीने की 5 तारीख को सभा में पेश किया जाय। लेकिन आज शाम प्रधान मंत्री निर्गुट देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अल्जीरिया के लिए रवाना हो रही हैं। यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति को देखते हुए हम श्री ज्योतिर्मय बसु और समर गुह से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा से आग्रह न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मिश्र के अनुरोध को मानकर मैं आज इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आग्रह नहीं करूंगा ।

श्री समर गुह (कंटाई) : आज देश का जनसाधारण घोर आर्थिक और राजनैतिक संकट में है । हम अनुभव करते हैं कि प्रधान मंत्री को अपने देश की आंतरिक समस्याओं को निपटाने में अपनी सारी शक्ति केंद्रीय करनी चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिकट स्थिति में जब हम इस संकट का हल निकालने के बारे में उनके साथ बातचीत करने जा रहे थे, प्रधान मंत्री अल्जीरिया क्यों जायें ? विरोधी पक्ष के मेरे मित्रों ने संयुक्त रूप से जो इच्छा व्यक्त की है उसके अनुकरण में मैं आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये सभा से आग्रह नहीं करूंगा और चाहूंगा कि इसे अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir I rise an a point of order. This situation has never arisen after introduction of the constitution. I want your ruling.

Mr. Speaker : The movers have submitted that want to withdraw the motion.

Shri Madhu Limaye : It has not so far been introduced.

Mr. Speaker : They have moved.

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Motion was, by leave, withdrawn.

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक
DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि आयकर अधिनियम 1961, धनकर अधिनियम, 1957, धनकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बन्धित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि आयकर अधिनियम 1961, धनकर अधिनियम, 1957, धनकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बन्धित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कुछ राज्यों में आई बाढ़ के बारे में

RE. : FLOODS IN SOME STATES

Mr. Speaker : I want to give time of two or three minutes to each of the 3 or 4 Members from Gujrat for raising the matter of floods. I will also provide sometime for Members from Rajasthan.

Shri Vasant Sathe (Akola) : I have given notice under rule 377. I may also be allowed to speak.

Shri Madhu Limaye : I have given notice under rules.

Mr. Speaker : No motion can be admitted.

Shri Madhu Limaye : What happened to my question of previlege ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य पढने के लिये कहुंगा । दंड संहिता प्रक्रिया विधेयक के पास होने के बाद गुजरात और राजस्थान के सदस्यों को मैं बाढ के सम्बन्ध में दो दो अथवा तीन तीन मिनट बोलने का अवसर दूंगा ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

(खण्ड 436 से 484 आगे पहली और दूसरी अनुसूचियों)

श्री मधु लिमये : मै प्रस्ताव करता हूं कि : **खंड 435 (क) (नया)**
पृष्ठ 148--

पंक्ति 4 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"435 क (1) जब पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा कारावास का दण्ड दिया जाये, तो न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को किसी दाण्डिक जेल में कारावास में रखे जाने के बजाय, राज्य सरकार द्वारा परिरोध के लिये उपयुक्त स्थान के रूप में स्थापित किसी ऐसे सुधारालय में जिसमें यथोचित्त अनुशासन और किसी उपयोगी उद्योग में प्रशिक्षण साधन विद्यमान हों या जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित हो जो उसमें परिरुद्ध व्यक्तियों के अनुशासन और प्रशिक्षण के बारे में राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाने वाले नियमों का पालन करने के लिए रजामन्द हो, में परिरुद्ध किया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन परिरुद्ध सभी व्यक्ति इस प्रकार विहित नियमों के अध्यधीन होंगे।

(3) यह धारा किसी ऐसे स्थान के बारे में जहां १र सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 तत्समय प्रवृत्त है, लागू नहीं होगी ।"

(संशोधन संख्या 261)

This is not a new amendment. If do not think it proper to send the criminals under 15 years age to jail. My amendment may be accepted.

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि अपराधी ठहराये गये अवयस्कों, महिलाओं तथा अन्य अपंग लोगों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिये

[दिनेश जोरदार]

इस प्रकार के अपराधियों को खंड 437(1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जा सकता है। आप विधेयक में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि इन्हें पक्के अपराधियों स सम्बद्ध होने के लिये जेल नहीं भेजा जायेगा? मैं अनुरोध करता हूं कि संशोधन को स्वीकार किया जाये।

Shri R. R. Sharma (Banda) : I support the amemendment moved by Shri Madhu Limaye Such criminals should not be associated with those who can not be reformed. I request it should be accepted.

श्री वी० विश्वनाथन् (वांडीवाश) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 16 साल से नीचे के अपराधियों को यदि जेल के पक्के अपराधियों से घुलने मिलने दिया जाये तो उनका सुधार नही हो सकता। अतः मेरे विचार में इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री आर० वी० बड़े (खरगौन) : चूंकि विधेयक का उद्देश्य सुधार करना है, अतः श्री मधु लिमये के संशोधन को स्वीकार किया जाये। मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : माननीय सदस्यों की इस बात से मैं सहमत हूं कि बच्चों को जेल नही भेजा जाना चाहिये और उन्हें एक विशेष स्कूल मे रखा जाना चाहिये।

जब तक हमारे पास पर्याप्त संख्या में सुधारात्मक स्कूल और बाल गृह नही हैं जहां उन्हें रखा जा सके तब तक एसा नही किया जा सकता। इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए श्री मधु लिमये का संशोधन स्वीकार करना सम्भव नहीं हैं। जब तक संशोधन को सही रूप में क्रियान्वित नही किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था करने का क्या लाभ है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 261 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 261 was put and negatived.

खण्ड 436

श्री दिनेश जोरदार : मैं अपने संशोधन संख्या 187 तथा 188 प्रस्तुत करता हूं।

खंड 436 में बताया गया है कि जमानत केवल उन्ही लोगों को दी जानी चाहिये जिन्हें गिरफ्तार किया गया या न्यायालय के समक्ष लाया गया है। उन लोगों को जमानत नही दी जानी चाहिये जो गैर जमानती अपराध के लिए और बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। हम चाहते है कि "गैर जमानती" और "बिना वारंट" के हिरासत में रखना" शब्द हटा दिये जायें जिससे जमानत देने की न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति सभी वर्गों के अपराधी व्यक्तियों के मामले नें लागू की जा सके।

Shri R. R. Sharma : All that has been said about Sub-clause 2 of Clause 116, is correct. It will be better if the term 'with or with out warrant' is added, therein.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस उपबंध के बारे में कुछ भ्रम है, उक्त सुझाव व्यर्थ है क्योंकि गिरफ्तारी वारंट में ही लिखा होता है कि उस व्यक्ति को जमानत पर छोडा जायेगा या नही। धारा 116 के अधीन किसी व्यक्ति से जमानत इस लिये ली जाती है कि वह जांच पूरी होने के बीच के अंतराल में शक्ति बनाए रखेगा और सदाचरण करेगा। यह उपबंध सर्वथा न्यायोचित है और देश में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से प्रचलित कानूनी स्थिति के अनरूप है।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : केवल इस तर्क के आधार पर कि यह व्यवस्था पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से विद्यमान है । इसे बनाये रखना उचित नही है। इस स्थिति और पहले की स्थिति के बीच स्पष्ट विसंगति है । यदि आरोप पत्र कानूनी अदालत में पेश कर दिया गया है तो किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की क्या आवश्यकता है ? जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के बीच अंतर अपने आप में विसंगती पूर्ण है। इस लिये यह एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि श्री जोरदर द्वारा सुनाये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो इससे जमानती और गैर जमानती अपराधों के बीच का अंतर बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। कुछ मामले ऐसे होते है जो व्यक्ति और समाज के विरुद्ध अत्यन्त गम्भीर अपराध होते है जिनके लिये जमानत नहीं दी जाती है और उनमें स्वयं ही जमानत नहीं दी जानी चाहिये। यह बहुत अच्छा अंतर है जो कि केवल विगत परम्परा पर ही आधारित नहीं ह बल्कि पूरे समाज के हित को देखते हुए भी अत्यन्त उपयोगी है । इस विधेयक में हमने जमानती व्यवस्था को उदार बनाने का प्रयत्न किया है । परन्तु जमानती और गैर जमानती मामलों में मूलभूत अंतर रखना पडेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 187 और 18 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 187 and 188 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 436 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoqted.

खंड 436 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 436 was added to the Bill.

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 144, 145, 246, 247, 248, 249, 250 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 तथा 258 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : May I request you to withhold the discussion so that we could mutually discuss it.

Shri Ram Niwas Mirdha : If you think that we can discuss it within the remaining time of two hours, then we are ready to discuss it.

श्री दिनेश जोरदार : इस पर बाद में चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हां इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात चर्चा होगी ।

खण्ड 438

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 149, पंक्ति 43 :–

'an officer of the police.

(पुलिस के एक अधिकारी), शब्द के स्थान पर, 'a police officer.' (एक पुलिस अधिकारी) शब्द रख दिया जाये (संख्या 83)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 149, पंक्ति 43 :–

an officer of the police.'

('पुलिस के एक अधिकारी'), शब्द के स्थान पर

a police officer.' (एक पुलिस अधिकारी) रख दिया जाये। (संख्या 83)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adpoted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 438, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 438, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 438, as amended, was added to the Bill.

खंड 439 से 456 भी विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 439 to 456 were also added to the Bill.

खण्ड 457

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ 155, पंक्ति 19:–

'appear' शब्द के स्थान पर 'to appear' **प्रतिस्थापित किया जाये**

(संशोधन संख्या 84)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? मैंने इन्हें सभा के समक्ष रख दिया है, आप कुछ नहीं बोले ।

श्री मधु लिमये : मैं सोच रहा था कि यह खंड 439 है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 84 को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 155, पंक्ति 19 में "appear" के स्थान पर "to appear" प्रतिस्थापित किया जाय। (संशोधन संख्या 84)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 457, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 457 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 457, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 458 से 467 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 458 to 467 were added to the Bill.

खंड 468

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 229 और 230 प्रस्तुत करता हूं।

यह सीमा अवधि के बारे में है।

हम जब पहले वाले खंडों पर चर्चा कर रहे थे तब इस पर चर्चा कर चुके हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता के ये उपबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा अपना मतलब सिद्ध करने के लिये बनाय गये थे। हम इन दमनकारी उपायों के विरुद्ध लडे है। हमें भिन्न-भिन्न खंडों पर चर्चा करने का पूर्ण समय और अवसर दिया जाना चाहिये। मुकदमें की कार्रवाई ौर जांच में विलंब पर पहले ही हम अपना असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। यदि इस प्रकार का विलंब होता है तो अभियुक्त का क्या हाल होता है? पुलिस अधिकारी तीन वर्ष के सुविधाजनक समय में इसे न्यायालय के सुपुर्द करता है। उन्होंने जांच पूरी करने के बारे में ोई व्यवस्था नहीं की है।

समन वाले मामलों के अलावा और किसी भी मामले में कोई समय सीमा नहीं है। पुलिस द्वारा देर किये जाने के कारण अभियुक्त की खतरनाक हालत हो जाती है।

मैं चाहता हूं कि तीन वर्ष और एक वर्ष की अवधि के उपबंध का लोप कर दिया जाय और सीमा के प्रयोजन से कोई लघु अवधि रखी जाये। तीन चार वर्ष बाद साक्षी भी बहुत सी बात भूल जायेंगे। मैंने संशोधन दिया है और मैं इस तीन चार वर्ष की अवधि का घोर विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस अवधि को अधिकतम साठ दिन रखा जाये। अन्य मामलों में भी ऐसा किया गया है।

Shri R. R. Sharma (Banda) : It is the duty of the Government to prosecute the offender and give justice to the other party. The Government has kept the limitation period of 3 years. Even in offences if minor nature, police take there to four years in investigations and sometimes the C.I.D. also conducts investigations. What safeguard is there if the C.I.D. starts investigations and the period of limitation expires. The technical difficulty will arise when the period of limitation of six months or three years expires. Offence is a sin and the offender should not be allowed to go scot-free. I request that this provision of limitation should be omitted altogether.

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवारा) : तीन वर्ष की समयावधि थोडी अधिक है। तीन वर्ष बाद तो जो साक्ष्य होगा वह पुलिस द्वारा बताया हुआ ही होगा क्योंकि वे सब कुछ भूल जायेंगे कि उन्होंने क्या देखा था। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस अवधिको कम करके एक वर्ष या उससे कम करने पर विचार करें।

श्री राम निवास मिर्धा : इस समय दंड प्रक्रिया संहिता में समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे हमने इस खंड में शामिल किया है। विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस खंड को बनाया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरी ओर श्री जोरदर ने कहा कि यह समय-सीमा बहुत अधिक हैं। कुछ इस प्रकार के मामले है, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। उनमें अत्यधिक समय नहीं लगेगा। उस उद्देश्य से हमने अपराधिक मामलों में समय-सीमा लगाने की शुरुआत की है और साथ ही हमने खंड 473 में पूर्वोपाय रखा है जो श्री शर्मा की आशंका के उत्तर के रूप में है।

श्री दिनेश जोरदर : वह अधिक खतरनाक है।

श्री राम निवास मिर्धा : इन दोनों को साथ लेने से पूरी बात समझ में आयेगी और मैं आशा करता हूं कि श्री जोरदर इस सही दिशा में एक शुरुआत समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 229 और 230 मतदान के लिये रख गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 229 and 230 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 468 विधयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।.

The motion was adopted.

खंड 468 विधेयक म जोड़ दिया गया ।

Clause 468 was added to the Bill.

खंड 469 से 472 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 469 to 472 were added to the Bill.

खंड 473

श्री दिनेश जोरदर : म अपना संशोधन संख्या 231 प्रस्तुत करता हूं।

अभी अभी मंत्री महोदय ने खंड 468 के उपबंधों के सम्बन्ध में खंड 473 का उल्लेख किया। मुकद्दमें की उचित कार्रवाई के लिये कम से कम समय लिया जाना चाहिय ।

वास्तव म ग्रामीण क्षत्रों में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं और उन्हें तारीख या समय का ज्ञान नहीं होता है । उनके जीविकोपार्जन के साधन भी नहीं होते हैं। इस लिये बयान देने के लिये यदि उन्हे थोडा पैसा मिल जाये तो वे फुसल जाते हैं और बदले में बयान देते है । इस कदाचार के कारण साक्षी खरीद लिये जात हैं। इसके अतिरिक्त इतने अधिक समय के बाद साक्षी वर्ग अपराध होने के समय से सम्बद्ध सत्य नहीं कह सकेंग । न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवक सम्बन्धी शक्तियों की कोई सीमा नही है। इस खंड को पूर्णतया हटाया जाना चाहिए।

Shri R.R. Sharma : The period of limitation kept in Clause 468 by the hon. Minister has been made ineffective by Clause 473. We want that there should be no limitation in criminal law and trial is started immediately after investigations. Both of there clauses should be omitted.

Shri Madhu Limaye : I would request the hon. Minister to withdraw clause 473.

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंन पहल कहा, हम समय-सीमा की शुरुआत कर रहे हैं। खंड 468 और 473 एक दूसर के पूरक है और यदि न्यायालय किसी कारण यह समझता है कि समय सीमा को सक्ती से लागू न किया जाये तो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे शिथिल करने की शक्ति दी गई है ।

श्री राम रतन शर्मा : आपने यह विचार कहां से लिया ?

श्री राम निवास मिर्धा : विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की है ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 231 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 231 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 473 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 473 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 473 was added to the Bill.

खंड 474 से 476 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 474 to 476 were added to the Bill.

खंड 477

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 160, पार्श्व शीर्षक में,

"in respect of petition writers" [अर्जी लेखकों के सम्बन्ध में] शब्दों का लोप कर दियजाये (**शोधन संख्या 85**)

श्री राम निवास मिर्धा

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 477 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted.

खंड 477, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 477, as amended, was added to the Bill.

खंड 478

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 161 वर्तमान पार्श्वशीर्षक **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"Power to alter functions allocated to Judicial and Executive magistrates in Certain cases". ["कुछ मामलों में न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को आबंटित कृत्यों में परिवर्तन करने की शक्ति] (संशोधन संख्या 86)

Shri Madhu Limaye : I rise to oppose sub-clause (a) of this clause. So far as this sub-clause (a) is concerned, I am tired of hearing this plea of the Government that the Fundamental rights and the Directive Principles of States Policy are contradictory to each other. But it is clearly said in Article 50 that "the State shall take steps to separate the judiciary from the executive........." We are not against clauses 108,109 and 110 but the hon. Minister has said that they have taken away the rights if the executive magistrate. But in the end, what have they brought in clause 478. May I ask the hon. Minister whether he has any moral, legal or constitutional right by which relaxation is allowed in violation of the Directive Principles under Article 50? If the power is given to the executive magistrates, injustice will be done to these people. I request that the sub-clause (a) be omitted.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : संवैधानिक रूप से तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्यवश अपराधिक मामलों में न्याय करना राज्य का विषय है और इस संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कानून के अनुसार होता है ।

संयुक्त समिति में सरकार का यह विचार था कि राज्य सरकार को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वह अधिसूचना द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्तियां दे। मुझे विश्वास है कि कोई भी राज्य विधान मंडल इस मत के विरुद्ध नहीं जायेगा जो यह संसद देने जा रही है ।

Shri R. R. Sharma : I agree with Shri Madhu Limaye that powers under sections 108, 109 and 110 should not be given to the executive magistrates and kept with the judicial magistrates. In some districts of U.P. each police station is required to file a certain number of cases under 109 and 110 every month. My submission is that if the Government wants to give justice, they should let the judicial magistrates try the cases in which the question of liberty is involved and issue directions to the states not to intervene.

श्री दिनेश जोरदर : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के पास कार्यपालिका से सम्बद्ध मामले ही बहुत रहते हैं और वे धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत मामलों को निपटाने के लिये तो न्यायालय में बैठते ही नही है । अतः केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होने चाहिए ।

श्री जी० विश्वनाथन् : मैं इस खंड के उप-खंड (क) का विरोध करता हूं । यदि सरकार की राय यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पूर्ण रूपसे पृथक हों तो इस संसद का यह प्रयास होना चाहिए कि वह राज्यों को विवश करे कि वे इस पृथकरण के लिए उपबन्ध बनायें । उप खंड (क) का लोप किया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : पहले वाली संहिता 1898 में बनाई गई थी और आज जब निदेशक तत्व सद्धांतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हो गये है तो क्या संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो निदेशक तत्वों के विपरीत हो? क्या संसद को ऐसा उपबन्ध करना चाहिए कि संसद द्वारा बनाये गये कानून को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा रद्द किया जा सके ?

अतः हम कहेंगे कि धारा 478 के उप खण्ड (क) पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये और इसे हमारे कानून में स्थान नहीं मिलना चाहिये।

Shri R. V. Bade (Khargone) : The position is this that Judicial Magistrate has been residing 40 miles away and he is always busy in drought as well as flood cases. He brings with him 10 witnesses after 15 days and thus the justice has become there very costly. I would request you to withdraw it.

श्री राम निवास मिर्धा : यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने संबंधी उपबन्ध निदेशक तत्वों की भावना के अनुसार ही है । हमने इस संहिता में कुछ उपबन्धों को शामिल किया है, ताकि जमानत संबंधी कुछ कार्यवाहियों को, जो पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित की जाती थी, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किया जायेगा । इस खण्ड में पर्याप्त संरक्षण दिये गये है । यह प्रसन्नता की बात है कि यह सभा नागरिको के अधिकारों के बारे में सचेत है और हमें आशा है कि राज्य विधान सभायें भी ऐसा ही करेंगी ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You have not told that whether state legislatures can enact any law against this Central law.

श्री राम निवास मिर्धा : यदि राज्य विधान मण्डल इस बारे में एक संकल्प पारित कर देते है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ऐसा किया जा सकता है । उन्हें भी इस क्षेत्र में, जो उन की चिन्ता का भी है, अपने स्वविवेक का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : I want to draw your attention towards article 254, what is the constitutional or legal position in this regard? May I know whether state legislatures can pass the laws against it, if sub-clause (a) is deleted?

श्री राम निवास मिर्धा : यह समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधान मण्डल केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् इसका संशोधन कर सकती है ।

Shri Madhu Limaye : Now the position is clear. You should say directly that we don't want to follow the directive principles.

श्री राम निवास मिर्धा : हमने निदेशक तत्वों की भावना के अनुसार ही परिवर्तनों को पुरःस्थापित किया है । माननीय सदस्य यह परिकल्पना क्यों करते है कि राज्य विधा मण्डल सामान्य नागरिक के अधिकार की रक्षा करने में इस सभा अथवा स्वयं माननीय सदस्य की तुलना में कम उत्सुक होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम निवास मिर्धा द्वारा पेश किये गये संशोधन को सभा मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 161–,

वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर

"Power to alter functions allocated to Judicial and Executive magistrates in certain cases".

("कतिपय मामलों में न्यायिक तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपे गये कार्यों में परिवर्तन करने की शक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये) (संख्या 86)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : "कि खण्ड 478, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में—149	**विपक्ष में**—35
Ayes—149	Noes—35

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted.

खण्ड 478, संशोधित रूप में विधेयक म जोड़ दिया गया ।

Clause 478, as amended was added to the Bill.

खण्ड 479

Shri Madhu Limaye : I would request the Hon'ble Minister that this clause should be adopted without explanation.

श्री राम निवास मिर्धा : स्पष्टीकरण बहुत ही स्पष्ट है । परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। यदि फिर भी सदस्य महसूस करते है तो यह एक भिन्न बात है ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 479 से 484 के लिये कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं इन सभी को एक साथ ही सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 479 से 484 तक विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 479 से 484 तक विधयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 479 to 484 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : शेष खण्डों पर चर्चा मध्यान्ह भोजन के पश्चात की जायेगी; किन्तु इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : बाढों पर चर्चा होगी। इस विधेयक पर चर्चा पूरी करने के पश्चात् एक और मद कोककर तथा अकोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक है, जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था । मैंने विरोधी पक्ष के नेताओं से परामर्श किया है और वे इस मद 14 पर इसके पश्चात् और पांचवी योजना संबंधी दृष्टिकोण पर और आगे विचार करने से पूर्व चर्चा करने के लिये तैयार हैं ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बाढों पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर 19 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then reassembled after lunch at nineteen minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Hukam Chand Kachwai (Morena) : Day before yesterday about 350 persons were injured in Ujjain as a result of lathi charge and tear gas there. I want that Government should give a statement in this regard.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं सदस्यों से सहयोग करने के लिये प्रार्थना करता हूं । कृपा करके शान्त रहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने केवल तीन खंडों को छोडकर सब पर विचार कर लिया है। हम इन तीनों खंडों पर विचार करेंगे। खंड 57 के बारे में संशोधन संख्या 193 है। वह श्री मधु लिमये ने प्रस्तुत किया था। मैं उस संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं अपना संशोधन वापिस ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खंड 57 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 57 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 57 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 57 was added to the Bill.

खंड 76

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 76 के बारे में दो संशोधन हैं । क्या श्री मिर्धा उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 22 में पंक्ति 35 के बाद रखिये :—

"Provided that such delay shall not, in any case, exceed twenty four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court".

["परन्तु इस प्रकार का विलम्ब किसी भी रूप में चौबीस घंटे से अधिक न हो परन्तु गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिये अपेक्षित समय इसमें शामिल नही किया जाना चाहिये"] (संख्या 285)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 285 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 22 में पंक्ति 35 के बाद रखिये :—

"Provided that such delay shall not, in any case, exceed twenty four hours exclusiv of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court".

["परन्तु इस प्रकार का विलम्ब किसी भी रूप में चौबीस घंटे से अधिक न हो परन्तु गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिये अपेक्षित समय इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये"] (संख्या 285)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 76 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 76 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause, 76, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 437 को लेते है। श्री मिर्धा ने अपने संशोधन के बारे में नोटिस दिया है। क्या आप उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 148, पंक्ति 28 "court" ("न्यायालय") शब्द के बाद "Other than the High Court or Court of Session" ("उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के अतिरिक्त" जोड दिया जाये

(संख्या 287)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 437 का संशोधन संख्या 287 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : खंड 437 से सम्बन्धित मेरे संशोधनों का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन पर बोलना चाहते हैं ?

श्री दिनेश जोरदर : खंड 437 में गैर जमानती अपराध में जमानत लेने की व्यवस्था है। यह प्रसन्नता की बात होगी कि यदि हम खंड 437 में दी गई प्रक्रिया में सुधार करें। श्री मिर्धा द्वारा प्रस्तुत कुछ संशोधनों के बारे में हम सहमत है लेकिन हम कुछ संशोधनों के बारे में अपना विरोध भी प्रकट करना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर इस खंड में यह उपबन्ध है कि :—

जब कोई व्यक्ति जिस पर अमानवीय अपराध का अभियोग हो, या जिस पर यह संदेह हो कि उससे अमानवीय अपराध किया गया है, पुलिस थाने के भारसाधाक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाये, या न्यायालय के सामने हाजिर हो या लाया जाये तब वह जमानत पर छोडा जा सकेगा इसके साथ साथ यह भी उपबन्ध है कि :—

"...लेकिन यह विश्वास करने के लिये उचित आधार प्रतीत हो कि वह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे नहीं छोडा जायेगा"

जब तक किसी मुकदमे की सुनवाई न हो और उसके बारे में निर्णय न दिया गया हो तो कैसे किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है। शब्द "अपराधी" बहुत आपत्तिजनक है।

अत: मेरा प्रस्ताव है कि उक्त खंड के उप-खंड 1 से शब्द "Shall" ("जायेगा") और "Guilty" ("अपराधी") हटा दिया जाये और उसके स्थान पर और कोई शब्द रखे जायें।

इसके अतिरिक्त गैरजमानती अपराधों के मामलों में जमानत देने के मामले बहुत अधिक कठोर बना दिये गये हैं।

मैं श्री मिर्धा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करता हूं और मैं अपने संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोरदर अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते। क्या वे अपने संशोधन वापिस लेना चाहते हैं। सर्व प्रथम मैं श्री मिर्धा का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि : पृष्ठ संख्या 148, पंक्ति 28 'Court' (न्यायालय) शब्द के बाद "Other than [the High Court or Court of Session "उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के अतिरिक्त" जोड़ दिया जाये। (संख्या 287)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जोरदर के बाकी सब संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 437 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 437 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 437, as amended, was added to the Bill.

प्रथम अनुसूचि

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम अनुसूची में श्री मिर्धा द्वारा प्रस्तुत बहुत से संशोधन हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

पृष्ठ 167, पंक्ति 25 तथा पृष्ठ 168, पंक्ति 15 में धारा 124 ए तथा 129 के कालम 4 में "cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये। [संख्या 87]

पृष्ठ 168 पंक्ति 21 में धारा 131 के कालम 5 में "Ditto." ["तदैव"] के स्थान पर "Non-bailable" ['जमानत अयोग्य'] रखिये। [संख्या 88]

पृष्ठ 171, पंक्ति 5 में धारा 153 ए के कालम 2 में "Places" ['स्थानों'] के स्थान पर "Place" ('स्थान') रखिये। [संख्या 89]

पृष्ठ 171, पंक्ति 25 में धारा 160 के कालम 4 में "Cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। [(संख्या 90)]

पृष्ठ 173, पंक्ति 22 में धारा 172 के कालम 2 में "order" ["आदेश"] के स्थान पर "other" ["अन्य"] रखिये। [संख्या 91]

[श्री राम निवास मिर्धा]

पृष्ठ 175, पंक्तियां 10-11 में धारा 177 में "Imprisonment for 6 months, or fine of 1,000 rupees or both" ["छः मास का कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये । [संख्या 92]

पृष्ठ 175 पंक्तियां 20-21 में धारा 179 में "simple imprisonment for six months or fine of 1,000 rupees or both" ["छः मास का साधारण कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये।[संख्या 93]

पृष्ठ 176, धारा 185 के कालम 2 में :—

(एक) पंक्ति 12 में "legal" ["वैध"] "a legal" ["वैध"] रखिये ।

(दो) पंक्ति 15 में "obligations" ["दायित्व"] के स्थान पर "obligations incurred" ["पूरे किये गये दायित्व"] रखिये । [संख्या 94]

पृष्ठ 180, पंक्ति 23 में धारा 213 के कालम 3 में "years"["वर्ष"] के स्थान पर "years and fine" ["वर्ष तथा जुर्माना"] रखिये । [संख्या 95]

पृष्ठ 181, पंक्ति 14 में धारा 215 के कालम 2 में "of" ["का"] के स्थान पर "by" ["द्वारा"] रखिये । [संख्या 96]

पृष्ठ 181, पंक्ति 22 में धारा 216 के कालम 2 में "not" ["नहीं"] के स्थान पर "not for" ['के लिये नहीं'] रखिये । [संख्या 97]

पृष्ठ 183, पंक्तियां 16-17 में धारा 225 के कालम 3 में "Imprisonment for 2 years or fine or both" ['दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों'] के स्थान पर "Ditto." ["तदैव"] रखिये [संख्या 98]

पृष्ठ 184, पंक्ति 24 में अध्याय 12 के शीर्षक में "Coins" ["सिक्के]" के स्थान पर "Coin" ['सिक्का'] रखिये । [संख्या 99]

पृष्ठ 186, पंक्ति 15 में धारा 296 के कालम 2 में "Weight" ['भार'] के स्थान पर "the weight" ['भार'] रखिये । [संख्या 100]

पृष्ठ 187, पंक्ति 16 में धारा 256 के कालम 2 में "year" ['वर्ष'] के स्थान पर "years and Fine" ['वर्ष तथा जुर्माना'] । रखिये । [संख्या 101]

पृष्ठ 189, पंक्ति 21-22 में धारा 276 में "Imprisonment for 6 months or Fine of 1000 rupees or both" ['छ मास का कारावास अथवा 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनो'] रखिये । [संख्या 102]

पृष्ठ 191, पंक्ति 11 में धारा 292 के कालम 3 में "Offence" ['अपराध] के स्थान पर "conviction" ['दोषसिद्धि'] रखिये । [संख्या 103]

पृष्ठ 191, पंक्ति 14 में धारा 293 के कालम 3 में "Ditto" ['तदैव'] के स्थान पर "On first conviction, with imprisonment for 3 years and with fine of 2,000 rupees and in the event of record or subsequent conviction with imprisonment for 7 years and with fine of 5,000 rupees" ['प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी तथा उसके बाद की दोषसिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास तथा 5000 रुपये का जुर्माना'] रखिये [संख्या 103] ।

पृष्ठ 191, पंक्ति 15 में धारा 294 के कालम 6 में "any Magistrate" ['किसी मजिस्ट्रेट'] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। (संख्या 105)

पृष्ठ 196, पंक्ति 15 में धारा 395 के कालम 4 में "Cognizable" ['प्रज्ञेय'] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। (संख्या 106)

पृष्ठ 199, पंक्ति 7 में धारा 374 के कालम 4 मे "Cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थानपर "Ditto." ["तदैव"] रखिये। (संख्या 107)

पृष्ठ 200, पंक्ति 20 में धारा 388 के कालम 2 में "or" ['अथवा'] के स्थान पर "of" ['का'] रखिये। (संख्या 108)

पृष्ठ 206, पंक्ति 9 में धारा 440 के कालम 3 में "3" के स्थान पर "5" रखिये। (संख्या 109)

पृष्ठ 210, पंक्ति 22 में धारा 402 के :—

(एका) कालम 4 में "Non-cognizable" ['अप्रज्ञेय'] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिय।

(दो, कालम 5 में "Bailable" ["जमानती"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये। (संख्या 110)

पृष्ठ 212, पंक्ति 4 में धारा 489 डी के स्थानपर "Prosessing instruments" ['इन्स्टूमेंन्टस् रखते हुए'] "Possessing machinery" ['मशीन रखते हुए'] रखिये। (संख्या 11)

पृष्ठ 214, पंक्ति 22 में धारा 504 में "3" के स्थान पर "2" रखिये। (संख्या 112)

पृष्ठ 214, पंक्ति 24 में धारा 505 में "2" के स्थान पर "3" रखिये। (संख्या 113)

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 223, 224, 225 तथा 226 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा अनुरोध है कि कोई भी विभाजन ऐसा न किया जायें कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा संज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार यह भी वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए कि कौनसा अपराध जमानत योग्य है और कौनसा जमानत योग्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि जमानत सभी मामलों में ली जाये और जमानत अपवाद के रुप में अस्वीकार की जाये। जमानत अस्विकार करने के मामले में एकही प्रकार के नियम होने चाहिए इसी उद्देश्य से मैंने अपना संशोधन दिया है।

Shri Ram Ratan Sharma : In clauses 193 and 201 there is provision of punishemen "imprisonment for 7 years and fine" the cases under 193 are triable by the Magistrate of 1st Class and the cases under section 203 are triable by the "Court of Session" I think there is some mistake in drafting.

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 167, पंक्ति 25 तथा पृष्ठ 168, पंक्ति 15 में धारा 124 ए तथा 129 के कालम 4 में "cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। (संख्या 8)

पृष्ठ 168, पंक्ति 21 में धारा 131 के कालम 5 में "Ditto" ['तदैव'] के स्थान पर "Non-bailable" ['जमानत अयोग्य'] रखिये। (संख्या 88)

पृष्ठ 171, पंक्ति 5 में धारा 153 ए के कालम 2 में "Places" ['स्थानों'] के स्थान पर "Place" ['स्थान'] रखीये। (संख्या 89)

पृष्ठ 171, पंक्ति 25 में धारा 160 के कालम 4 में "Cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। (संख्या 90)

[उपाध्यक्ष महोदय]

पृष्ठ 173, पंक्ति 22 में धारा 172 के कालम 2 में "order" ["आदेश"] के स्थान पर "other" ["अन्य"] रखिये। (संख्या 91)

पृष्ठ 175, पंक्तियां 10-11 में धारा 177 में "Imprisonment for 6 months, or fine of 1000 rupees or both" ["छः मास का कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिय। (संख्या 92)

पृष्ठ 175, पंक्तियां 20-21 में धारा 179 में "Simple imprisonment for six months or fine of 1,000 rupees or both"["छः मास का साधारण कारावास अथवा 1,000 रुपये का जुर्माना'] के स्थान पर "Ditto" ['तदैव'] रखिये। (संख्या 93)

पृष्ठ 176, धारा 185 के कालम 2 में :—

(एक) पंक्ति 12 में "legal" ["वैध"] "a legal" ["वैध"] रखिये।

(दो) पंक्ति 15 में "obligations" ["दायित्व"] के स्थान पर "obligations incurred" ["पूरे किये गये दायित्व"] रखिये। (संख्या 94)

पृष्ठ 180, पंक्ति 23 में धारा 213 के कालम 3 में "years" ["वर्ष"] के स्थान पर "years and fine" ["वर्ष तथा जुर्माना"] रखिये। (संख्या 95)

पृष्ठ 181, पंक्ति 14 में धारा 215 के कालम 2 में "of" ["का"] के स्थान पर "by" ["द्वारा"] रखिये। (संख्या 96)

पृष्ठ 181, पंक्ति 22 में धारा 216 के कालम 2 में "not" ["नहीं"] के स्थान पर "not for" ['के लिय नहीं'] रखिये। (संख्या 97)

पृष्ठ 183, पंक्तियां 16–17 में धारा 225 के कालम 3 में "Imprisonment for 2 years or fine or both" ['दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों'] के स्थानपर "Ditto" ["तदैव"] रखिये। (संख्या 98)

पृष्ठ 184, पंक्ति 24 में अध्याय 12 के शीर्षक में "coins" ["सिक्के"] के स्थान पर "coins" ['सिक्का'] रखिये। (संख्या 99)

पृष्ठ 186, पंक्ति 15 में धारा 246 के कालम 2 में "We ght" ["भार"] के स्थान पर "the weight" ['भार'] रखिये। (संख्या 100)

पृष्ठ 187, पंक्ति 18 में धारा 256 के कालम 2 में "years" ['वर्ष'] के स्थान पर "years and fine" ['वर्ष तथा जुर्माना'] रखिये। (संख्या 101)

पृष्ठ 189, पंक्ति 21-22 में धारा 276 में "Imprisonment for 6 months, or fine of 1000 rupees, or both" ['छः मास का कारावास अथवा 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों'] रखिये। (संख्या 102)

पृष्ठ 191, पंक्ति 11 में धारा 292 के कालम 3 में "offence" ['अपराध'] के स्थान पर "conviction" ['दोषसिद्धि'] रखिये। (संख्या 103)

पृष्ठ 191, पंक्ति 14 में धारा 293 के कालम 3 में "Ditto" ['तदैव'] के स्थान पर "On first conviction, with it prisonment for 3 years and with fine of 2,000 rupees and in the event of record or subsequent conviction with imprisonment for 7 years and fine of 5,000 rupees" ["प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी तथा उसके बाद की दोषसिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास तथा 5000 रुपये का जुर्माना'] रखिये। (संख्या 109)

पृष्ठ 191, पंक्ति 15 में धारा 294 के कालम 6 में "any Magistrate" ["किसी निजी स्ट्रट"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये। [संख्या 105]

पृष्ठ 196, पंक्ति 15 में धारा 395 के कालम 4 में "cognizable" ('प्रज्ञेय") के स्थान पर "Ditto' ["तदैव"] रखिये। [संख्या 106]

पृष्ठ 199, पंक्ति 7 में धारा 374 के कालम 4 में "cognizable" ["प्रज्ञेय"] के स्थान पर "Ditto" ["तदैव"] रखिये। [संख्या 107]

पृष्ठ 200, पंक्ति 20 में धारा 388 के कालम 2 में "or" ["अथवा"] के स्थान पर "of" ["का"] रखिये। संख्या 108)

पृष्ठ 206, पंक्ति 9 में धारा 440 के कालम 3 में "3" के स्थान पर "5" रखिये। [संख्या 109]

पृष्ठ 210, पंक्ति 22 में धारा 402 के :—

(एक) कालम 4 में "Non-cognizable" ["अप्रज्ञेय"] के स्थानपर "Ditto" ["तदैव"] रखिये।

(दो) कालम 5 में "Bailable" ["जमानती"] [के स्थान पर "Ditto" ["तदेव"] रखिये। [संख्या 110]

पृष्ठ 212, पंक्ति 4 में धारा 489 डी के स्थान पर "possessing instruments" ["इंस्ट्रमेंट्स रखते हुए") "possessing machinery" ["मशीन रखते हुए"] रखिये। [संख्या 117]

पृष्ठ 214, पंक्ति 22 में धारा 504 में "3" के स्थान पर "2" रखिये। (संख्या 112)
पृष्ठ 214, पंक्ति 24 में धारा 505 में "2" के स्थान पर "3" रखिये। (संख्या 113)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 223 224, 225 तथा 226 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्य महोदयह : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोडी गई।

The First Schedule as amended was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 222, पंक्ति 9, फार्म संख्या 11, "seals" ["मुद्राओं"] के स्थान पर "seals or" '["मुद्राओं, या") रखा जाये। (**संख्या** 114]

पृष्ठ 223, पंक्ति 30, फार्म संख्या 15, " Offier " के स्थान "Officer" रखा जाये। (संख्या 115)

पृष्ठ 226, पंक्ति 30 के बाद फार्म संख्या 20, "or" ('या') जोड़ा जाये। (संख्या 116)

पृष्ठ 229, पंक्ति 15, फार्म संख्या 25, "to decide" (निर्णय करना) के स्थान पर "do decide" (अवश्य निर्णय करना) रखा जाये। (संख्या 117)

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गयी।

The second Schedule as amended, was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "1972" के स्थान पर "1973" रखा जाये। (संख्या 11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10, " 1st day of July 1973" (पहली जुलाई 1973) के स्थान पर "1st day of January 1974" (पहली जनवरी 1974) रखा जाये। (संख्या 13)

(श्री राम निवास मिर्धा)

श्री राम निवास मिर्धा : मैं आपकी अनुमति से अपने संशोधन संख्या 12 के स्थान पर संशोधन संख्या 286 प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 11 और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that the provisions of this Code, other than those relating to Chapters VIII, X and XI thereof, shall not apply—

(a) to the State of Nagaland,

(b) to the tribal areas,

but the concerned State Government may, by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or such tribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification",

"(परन्तु अध्याय 8, 10 और 11 से सम्बन्धित उपबन्धों से भिन्न इस संहिता के उपबंध,

(क) नागालैंड राज्य को,

(ख) जनजाति क्षेत्र को,

तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि सम्बद्ध राज्य सरकार अधिसूचना रा, यथास्थिति पूर्णत: या भागत: नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे किसी उपबन्ध का ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, विस्तार न कर दें।") (संख्या 280)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 11 और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that the provisions of this Code, other than those relating to Chapters VIII, X and XI thereof, shall not apply—

(a) to the State of Nagaland,

(b) to the tribal areas,

but the concerned State Government may by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or such tribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification",

"(परन्तु अध्याय 8, 10 और 11 से सम्बन्धित उपबन्धों से भिन्न इस संहिता के उपबन्ध

(क) नागालैंड राज्य को,

(ख) जनजाति क्षेत्र को,

तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि सम्बन्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति पूर्णतः या भागतः नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे किसी उपबन्ध का ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामिक उपान्तरों सहित जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, विस्तार न कर दें।" (संख्या 286)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "Twenty third" (तेइसवें) के स्थान पर "Twenty fourth" (चौबीसवें) रखा जाये। (संख्या 10)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ, पंक्ति 1, "Twenty third (तेइसवें) के स्थान पर "Twenty fourth" (चौबीसवें) रखा जाये। (संख्या 10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The title was added to the Bill.

श्री के० रघुरामैया : जैसा कि मैंने कुछ माननीय सदस्यों से स्पष्ट किया था कि खंडों में से संख्या 125 पर पुन: विचार किया जा रहा है और उस पर चर्चा बाद में की जायेगी, जबकि 'बाढ़ की स्थिति पर चर्चा' समाप्त हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि वह खंड 125 पर पुन: विचार करना चाहती है। इसके लिए वह कुछ अधिक समय चाहती है तथा वह विधेयक पर आगे विचार को स्थगित करना चाहते है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri Shamim, Shri Sulaman Sait, and others have already spoken against this provision but at that time Government paid no heed to it. I have no objection to clause No. 125 if second thought is being given to it. But I would like to know the rules under which we are going to re-consider it. Secondly, I want that all the dangerous clauses bearing No. 144, 106, 108, 109 and 110 should also be given second look along with clause No. 125. In my opinion they are doing wrong as the clause has been passed once, I also suggest that Muslims of our country should be seen not only as voters but as human beings also.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जिस खंड पर श्री शमीम ने आरम्भ में ही आपत्ति की थी और सरकार ने नही मानी थी, उसे चुनाव के समय पुनर्विचार के लिए क्यों रखा जा रहा है। इससे पता लगता है कि सरकार देश में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है।

Shri Shamim Ahmad Shamim (Shrinagar) : I support the views expressed by Shri Madhu Limaye that the Muslims are human beings as well as voters. They should not be considered only voters. At the same time, I request Shri Madhu Limaye and others not to make the point of reconsideration of clause 125 controversial by associating it with other clauses, as clause 125 interferes with the Muslim personal law. From their point of view, I welcome it.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय विचाराधीन विषय केवल इतना सा है कि क्या विधेयक को पारित किये जाने को स्थगित किया जाये अथवा नहीं क्योंकि सरकार खंड 125 पर पुनर्विचार करना चाहती है। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।

Shri R.R. Sharma (Banda) : Sir, the Criminal Procedure Code Bill is not being passed on the basis of caste, creed and religion. I dont understand the reason why the question of personal law is unnecessarily being raised here. I would like to know the rules under which this provision will be reconsidered.

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधेयक पर खंडवार चर्चा के दौरान खंड 125 पारित किया जा चुका है। नियम 89 के अन्तर्गत अध्यक्ष ठीक समझने पर किसी खंड पर चर्चा स्थगित कर सकता है। किन्तु यह नियम ऐसी स्थिति में कहां तक लागू होता है जहां खंड पारित किया जा चुका है, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। पहली बात यह है कि कोई नियम ऐसा नही जिसके अन्तर्गत ऐसे खंड में संशोधन किया जा सके जो पास किया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि हमें यह ज्ञात नहीं है कि सरकार कैसा संशोधन करना चाहती है। उस खंड पर पुनविचार तभी किया जा सकता है जबकि नियम निलम्बित किये जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रक्रिया की दृष्टि से इतना आसान नहीं है, जितना कि यह आसान लग रहा है। इस पर शान्ति से और ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिए। हम जो भी करें वह नियमित होना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि सभा में यह खंड पारित किया जा चुका है। यदि सरकार इस पर पुनः विचार करना चाहती है तो उसे इस के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा तथा नियम 338 के अनुसार सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिसका विषय लगभग वहीं हो जिस पर उसी सत्र में विचार किया जा चुका हो। इस कठिनाई से बचने के लिए इस नियम को निलम्बित करना होगा। यदि सभा चाहे तो नियम को निलम्बित किया जा सकता है।

श्री दिनेश जोरदर : चूंकि विधेयक में अन्य कई उपबन्ध ऐसे है जिन पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए किन्तु जो जल्दी में पास कर दिये गये है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विधेयक को इस सभा में पारित न किया जाये। और अगले सत्र में इस पर नये सिरे से विचार किया जाये। मंत्री महोदय प्रतिपक्ष के नेताओं और इच्छुक संसद सदस्यों को न केवल इस खंड पर बल्कि अन्य कठोर एवं दमन-प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले उपबन्धों पर भी विचार करने के लिए आमंत्रित करे जिससे अगले सत्र में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाये।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : सरकार खंड 125 पर पुनर्विचार करना चाहती है जिसे सदन पास कर चुका है। यदि सरकार किसी उपबन्ध पर पुनर्विचार करना चाहती है तो पहले उसे संशोधन परिचालित करने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : जो वादविवाद चल रहा है पहले उसे स्थगित करना पड़ेगा।

श्री जी० विश्वनाथन् : जब तक प्रक्रिया नियम 338 का लागू होना समाप्त नहीं किया जाता तब तक इस मामले को तुरन्त नहीं लिया जा सकता। क्या इस खंड के साथ ही उन दूसरे खंडों पर भी पुनर्विचार किया जायगा जिनका विपक्ष ने विरोध किया है? सरकार सदैव ही जल्दबाजी में एसे कार्य करती है तत्पश्चात् खेद प्रकट करती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम तथा मुल्की नियमों के बारें में एसा ही हुआ। कोई भी विधेयक सरकार को पर्याप्त विचार करने के पश्चात् ही सदन में प्रस्तुत करना चाहिये।

Shri R.R. Sharma (Banda) : Now this should be postponed and should be brought the next session.

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : एक रास्ता यही है कि नियमों को निलम्बित कर दिया जाये। फिर कोई कठिनाई नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, we should have an impartial ruling and all the deficient clauses should be reconsidered.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस विधेयक पर विचार एक घण्टे के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये। सरकार खंड 125 पर पुनर्विचार करना चाहती है। इस बीच बाढ़ के विषय में चर्चा पूरी हो जायेगी। यदि विपक्ष के सदस्य अन्य खण्डों पर भी पुनर्विचार का सुझाव देते है तो हम उन पर भी विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye : First of all it should be passed that clauses 106, 108, 109, 110, 125, 144 etc. would be reconsidered.

उपाध्यक्ष महोदय : पुनर्विचार करने की बात में कुछ गलत बात नहीं है। परन्तु हमें सदन के नियमों के अनुसार चलना है। यदि विधेयक पर विचार एक घण्टे के लिये भी स्थगित किया जाता है तो भी यह स्थगन तो है ही। अतः यदि मंत्री महोदय ऐसा चाहते है तो उन्हें नियम 109 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाना चाहिये कि विधेयक पर चर्चा एक घण्ट के लिये स्थगित कर दी जाये।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 338 का ...

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह लागू नहीं होता है। आपको इस विधेयक पर चल रही चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करना चाहिये।

श्री के० रघुरामैया : मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद एक घण्टे के लिये स्थगित किया जायें"

Shri Madhu Limaye : Sir, I also want to move a substitute motion. It does not require any notice. I am also moving an adjournment motion but the wording of my motion shall be like this— so that clauses 106, 108, 109, 110, 144, 167, 341 may be reconsidered.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जायें।" मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूं।

Shri Madhu Limaye : My substitute motion can not be ignored under rule 109. The debate should be adjourned to reconsider clauses 106,108, 109, 110, 144 and 341.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने एक प्रस्ताव रखा है कि विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात् श्री मधु लिमये ने कारण बताते हुये कि "इन खंडों पर पुनर्विचार करने के लिये हम वाद-विवाद स्थगित करना चाहते हैं"। केवल थोड़ा सा अन्तर है।

अब मैं इन प्रस्तावों के सदन के सामने रखूंगा

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वाद-विवाद अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तीन प्रस्ताव ह।

एक श्री सोमनाथ चटर्जी ने किया है दूसरा श्री मधु लिमये ने। ये दोनों प्रस्ताव श्री रघुरामैया के प्रस्ताव के संशोधन ह। अतः मैं पहले इन संशोधनों को रखंगा। प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वाद-विवाद अ ले सत्र तक के लिय स्थ किया जाये"।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
50	127

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये का स्थानापन्न प्रस्ताव सदन के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ताकि निम्नलिखित खण्डों पर पुनर्विचार किया जा सके : 106, 108, 109, 110, 144, 167 और 341."

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
51	142

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री रघुरामैया का प्रस्ताव लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद एक घण्टे के लिये स्थगित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में भाग लेने के लिये 21 सदस्यों के नाम हैं और समय एक घंटा है । प्रत्येक सदस्य को 2,3 मिनट का समय मिलेगा । इतने समय में क्या कहा जा सकता है । सदन इस विषय में निर्णय करे ।

प्रत्येक सदस्य के लिये 5 मिनट दिये जायेंगे । सदस्यों के नाम सूची के अनुसार पुकारे जायेंगे । श्री पी० एम० जोशी । वह अनुपस्थित हैं । श्री डी० डी० देसाई ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : श्रीमन्, गुजरात में बाढ़ का पानी भरा है। भारत में पानी की उपलब्धता कम है। वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोकर रखने की तथा उसका उपयुक्त उपयोग करने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

गत वर्ष गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा था। विद्युत की कमी से कठिनाईयां और बढ़ गई थीं अत: वर्षा के पानी को पृथक पृथक क्षेत्रों में एकत्र कर के रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस पानी की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिये कि यह सिंचाई, उद्योग तथा पीने के कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जा सके।

नर्मदा परियोजना का कार्य कई वर्षों से रुका पडा है। गुजरात चाहता है कि नर्मदा का जल राष्ट्रीय कार्यों के लिये उपयोग में लाया जाये जिससे अनाज की कमी दूर हो और मध्यप्रदेश को भी लाभ हो। नर्मदा के जल का पूर्ण उपयोग ही एक महत्व पूर्ण उद्देश तथा बाढ़ को रोकने का एक मात्र उपाय है। मैं मध्यप्रदेश के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि नवगांव बांध से भयभीत लोगों को केवल आवास सुविधा ही नहीं अपितु यदि उनके पास कच्चे मकान है तो उन्हें पक्के मकान, स्कूल तथा अस्पतालों आदि की सुविधा भी प्रदान करायी जायेंगी।

गुजरात की नदियों के आपात का अन्त किया जाना चाहिये। केन्द्र सरकार को चाहिये कि वे राहत कार्य आरम्भ कर जिससे अभूतपूर्व बाढ़ से हुयी क्षति से लोगों को कुछ राहत मिल सके।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : आरामबाग, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से विनाश होता है। इस वर्ष भी ऐसाही हुआ है। दामोदर घाटी निगम के उपरी जल प्रवाह क्षेत्र में भारी वर्षा से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जिलों में पानी भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त निरन्तर रूपसे उपरी जल प्रवाह क्षेत्र के पानी के आने से सम्पूर्ण आरामबाग क्षेत्र का विनाश हो जायेगा। इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम का निचला जल प्रवाह क्षेत्र भी जलाप्लावित हो चुका है।

[**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए]

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

सड़क और संचार साधन नष्ट हो गये हैं। ग्रामीण बेघर हो गये हैं। अत: अब सरकार को आरामबाग को भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। गत सत्र के अन्त में लोवर दामोदर योजना को पुन: बनाने के बारे में मंत्री महोदय ने मुझे लिखा था। यह उक्त योजना को पुनः तैयार करने के लिए उपयुक्त समय है। मैं मंत्री महोदय से पुनः अपील करता हूं कि वह हमें इस दैवी विपत्ति से बचायें।

Shri Vekaria (Jhunagarh): Mr. Chairman, Sir, there have been serious floods in the Narmada, the Sabar and the Banas rivers of Gujarat this year and Gujarat is in the grip of severe floods. The crops standing on about 7,000 hectares of land have been destroyed. Thousands of people have been rendered homeless. Narmada water dispute is still pending. The Minister assures that solution to this dispute will be soon found and decision about the dam will be soon taken. But no decision has so far been taken. I request the hon. Minister that the decision about Narmada should be taken as soon as possible, so that the crops and the people of Gujarat state can be saved from the devastation caused by every year by the floods in Narmada, Secondly, I also request the Government that they should arrange at the earliest maximum amount of relief to the victims of flood in the states.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, every year some part or parts of the country are affected by the floods. Gujarat is facing a crisis on account of floods in its several years. Not only Gujarat but other states like Punjab, Kashmir, Madhya Pradesh, Bihar, U.P. Assam, West Bengal, Rajasthan etc. floods have caused hevy loss of life and crops. So it is essential that comprehensive flood control scheme must be drawn up by Government so that major part of the country can be saved from the ravages of floods.

Bihar State also faces the crisis of floods. This year, too, the districts of Patna, Monghyr, Bhagalpur, Darbhanga, Champaran, Purnea, Mujaffarpur, Saharsa etc. have been affected by the floods. The people of these districts are facing difficulties, Even rationed articles are not available to them. Ration is not available on the fair prices shops in Patna what to speak of remote areas, affected by floods. The Central Government should sholder the responsibility of supplying ration and other essential things to the people in such areas. The people of Naga Tola, Bhaggu Tola, Hira Tola, vil ages in Maner and Danapur areas, who suffered loss on account of soilerosion should be given assistance and arrangement for their rehabilitation should be made. In the end, I suggest that a comprehensive flood control plan should be formulated and implemented in order to protect the people of India from havoc of floods.

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : गुजरात में इस वर्ष जैसी बाढ़ आई है और उससे जितना नुकसान हुआ है, उतना पिछले दस वर्षों में नहीं देखा गया। नर्मदा, माही, लाटनी और साबरमती नदियों की बाढ ने गुजरात में बहुत बड़ा विनाश किया है। हजारो लोग बेघर हो गये हैं। लगभग 350 गांव जलमग्न हुए और 1000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, 10,000 घर नष्ट हो गये। फसल को इतनी बडी हानि हुई, कि उसका हिसाब लगाना आसान नहीं है। वहां सडकें और संचार साधन टूट गये। रेलगाडियां कई स्थानों पर बंद हो गई। समाचारों के अनुसार वहां 47 मौतें बाढ़ से हुई। इस संदर्भ में मेरी यह मांग है कि गुजरात के बाढग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न, औषधियां, खाद्य तेल, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं तत्काल भेजी जायें। प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जायें। वैसे यह सरकार विश्वास करने योग्य नहीं है। इसने सुखा ग्रस्त क्षेत्र को 14 करोड रुपये निर्धारित किये थे। किन्तु दिये केवल 9.52 करोड रुपये। यह सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करती। नर्मदा पर कई बांधों के बारे में जांच पड़ताल की गई, किन्तु काम कहीं भी शुरू नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावित बांधों पर कार्य शीघ्र शुरु किया जाये।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : श्रीमान, यद्यपि मैं ऐसे राज्य से आया हूं जिसमें बाढ़ प्रायः आती रहती है, किन्तु मैं उन सब राज्यों के लोगों से सहानुभूति रखता हुं जहां लोग बाढ से पीडित हैं। किन्तु जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, वहां की अर्थव्यवस्था ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आनेवाली बांढों से पंगु हो चुकी है। गतवर्ष हमारे राज्य को 23 करोड़ रुपये की क्षति हुई। मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री और योजना मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पांचवी योजना में ऐसे पर्याप्त साधन जुटाये जायें जिससे बाढ़ के विनाश से बाढ से प्रायः पीडित क्षेत्रों को बचाया जा सके। दिनांक 5 दिसम्बर 1969 में प्रधान मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की बाढों को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि वह प्रस्तावित विधान शीघ्र लाया जाये जिससे बाढ नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर आ जायेगी और वह हमारे राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य कर सकेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान, सभी राज्यों के बाढ़ से पीडित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए मैं सरकार का ध्यान बाढ़ द्वारा मिदनापुर, बांकुरा और बरहामपुर द्वारा में किये गये विनाश की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्टाई का सम्बन्ध है, वहां पिछले चार वर्ष में बाढ़ आई और एक वर्ष सूखा पडा। इस कारण वहां की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। यहां की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। पश्चिम बंगाल का यह एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहां राज्य का अधिकांश चावल पैदा होता है। इस वर्ष भी वहां 95 प्रतिशत रबी की फसलें बाढ़ से प्रभावित है। स्वर्णरेखा नदी के लिए बाढ़ संरक्षण कार्यक्रम योजना आयोग पास कर चुका

[श्री समर गुह]

है किन्तु यह अभी तक कार्यान्वित न किया जा सका है । बाढ़ नियंत्रक कार्यक्रम शीघ्र पूरे किये जाने चाहिए, अन्यथा कन्टाई में अपेक्षित मात्रा में अनाज उत्पन्न न हो सकेगा। बाढ़ से प्रभावित लोगों से आवश्यक वस्तूओं की सप्लाई राहत और पुनर्वास के लिए कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की शस्यशामला क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, the country is facing crisis at present on account of floods in various rivers. First Bihar and U.P. were in the grip of floods and later on Gujarat. Rajasthan and Madhya Pradesh were affected by floods. The floods in Narmada are affecting not only Gujarat but it is affecting many parts of Madhya Pradesh too. Most of the parts of Ghargon, Badwani, Hoshangabad have been marooned by flood water. The reports say that 8 people have died and property worth Rs. 25 crores has been destroyed in the floods Floods in the rivers Narmada and chambal are causing havoc. Floods in Shivna are causing devastation in Mandsaur city and adjoining areas. These days people are at the verge of starvation in Madhya Pradesh. Rajasthan is also affected by floods. The floods in Sironi and Jalore have marvoned. The areas of udaipur, Chitaur, Kotah etc. Floods have taken heavy toll of human life cattle and property. Permanent measures should be taken to control floods in these rivers. The government should see that foodgrains and other necessary assistance to the flood affected areas are rushed immediately.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Mr. Chairman, Sir, whenever, there are floods or droughts in the country, our government begs floodgrains from others. What is the reason for it. I think our Government or planning has failed to control the floods and tap the water resources available us in our country. We get 3,600 million acre feet water in rains, but we utilize only 150 million acre feet watet for irrigation purposes. So top priority should be given in Fifth Plan to utilization of water resources and taking flood control measures. Water disputes should be resolved soon. Sincere efforts should be made for controling flood waters and utilizing the water resources. Then, there will be green revoluation in the real sense in our country.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमान, अहमदाबाद और गुजरात में तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ से जो विनाश हुआ और लोगों को जो परेशानी हुई उससे मुझे बहुत दुख हुआ। बाढ़ों की समस्या क्षेत्रीय समस्या न होकर एक राष्ट्रीय समस्या है । इस पर दलगत नीति या राजनीतिक आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए ।

गुजरात में नर्मदा, साबरमती महीसागर, विश्वमित्री, मशवो, वतरक, सधी, हरमती बनास तथा सरस्वती नदियों में बाढ़ आने से व्यापक क्षति हुई है । राज्य के दो तिहाई से अधिक भाग को संकट का सामना करना पड रहा है । बाढ़ो से करोडों रुपयों की हानि हुई है । सरकारी तौर पर 50 करोड रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है । लेकिन क्षति इससे कहीं अधिक है । खडी फसलें नष्ट हो गई हैं । ढौर और मनुष्य बह गये हैं। मकान गिर गये है । अनेकों गांव जल मग्न हो गये हैं। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है लेकिन वह इतनी तेजी से कार्य नहीं कर रहा है । बाढ़ से न केवल गुजरात राज्य ही प्रभावित हुआ है बल्कि विभिन्न अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं ।

हम केन्द्रीय सरकार से बड़े पैमाने पर दीर्घाविधि वित्तीय सहायता चाहते हैं । हम सेना से बचाव कार्यो में सहायता चाहते है । हम चाहते हैं कि नावें और हेलिकोप्टर अहमदाबाद भेजे जायें। बाढ़ से राहत के लिये दीर्घाबधि तथा अल्पावधि उपाय किये जाने चाहिये।

प्रधान मंत्री को नर्मदा नदी विवाद के बारे में बिना विलंब निर्णय देना चाहिये । सरकार द्वारा पर्याप्त राहत कार्य न किये जाने पर दुःख होता है। बाढ़ राहत कार्य पर बिना विलम्ब अधिक धनराशि खर्च की जानी चाहिये और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस मामले पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा के लिये केवल एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इस बारे में मंत्री महोदय के क्या विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : यदि सभा इस शर्त पर बाढ़ स्थिति पर और चर्चा करना चाहती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर इसके बाद चर्चा की जायेगी तो मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : यदि सभा की यह राय है कि इस पर चर्चा के लिये समय बढाया जाना चाहिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): He has got the whip issued intentionally. As a result of it only the discussion ha been postponed for an hour. The discussion would be held without any formal motion after an hour. It is against the rules. I do not know why Government is strict in passing the Bill today itself ?

श्री के० रघुरामैया : यह सच है कि मैंने एक घंटे बहस स्थगित करने का अनुरोध किया था जिससे दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर बाद में चर्चा की जा सके। इस बीच इस विषय पर चर्चा आरम्भ हो गई। इस मामले में अब केवल दो ही तरीके शेष हैं या तो आप समय बढ़ा दें अथवा आप दण्ड प्रक्रिया सहिता विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति दें ।

Shri Mahdu Limaye : I more that this discussion should continue up to six and the Criminal Procedure Code Bill discussion should be taken tomorrow.

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये का प्रस्ताव यह हैं "कि इस चर्चा को 6 बजे तक जारी रखा जाय और दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर कल चर्चा की जायें" ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपलगंज) : इस चर्चा को 5 बजकर 15 मिनट तक जारी रखा जाये और इसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर चर्चा की जाये ।

सभापति महोदय : मैं श्री डी० एन० तिवारी का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि "इस चर्चा को 5 बजकर 15 मिनट तक जारी रखा जाय और इसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर चर्चा की जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoted.

Mr. Chairman : This discussion should continue upto 5-15 p.m.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव): मैं अपना वक्तव्य पांच बजे दूंगा और इसे 15 मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

Shri D. N. Tiwari : Floods have created havoc in Bihar. It has not only hit one but several districts of Bihar. The people there do not understand as what to do to save them selves from the cruel hand of floods.

[Shri T. D. Tiwari]

There is acute short age of power and irrigation facilities in Bihar. The projects started there have not been completed so far. The Government should claim out accummulated water by providing outlets in the embankments. The Government should provide seeds to farmers for Rabi Sowing in time so that lands did not remain idle. The Government should also provide foodgrains and other relief to the drought and flood effected people. The Government should take up works in the drought effected areas so that the people there may have some purchasing power to buy foodgrains.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : बाढों से होने वाली क्षति प्रतिवर्ष बढती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम संरक्षण के लिये आवश्यक कार्य नहीं कर रहे हैं। अपवाह क्षेत्रों में बनरोपण की गति बहुत धीमी है। बाढ़ों से हुए विनाश को ध्यान में रखते हुए हमें इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

मंत्री महोदय द्वारा कही गई यह बात समझ में नहीं आती की कि लोगों को बाढ़ों का अभ्यस्त होना चाहिये। मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिये था। उन्हें कहना चाहिये था कि हम अपनी बुद्धी, संसाधनों और तकनीक द्वारा उनको रोकने का भरसक प्रयास करेंगे।

प्रकृति की शक्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी उपेक्षा करना विनाश को आमंत्रित करना होगा। हम उन पर बुद्धिमत्ता से नियंत्रण कर सकते हैं।

हमे नदियों के जल पर नियंत्रण कर सिंचाई और बिजली सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिये।

अनेक नदि परियोजनाएं तीन, चार या पांच वर्षों में पूरी की जानी चाहिये थी लेकिन उनके पूरा करने में देरी हुई है। उसमें सन्देह नहीं कि जल विधुत केन्द्र और बांधों के निर्माण में कभी कभी 8 से 10 वर्ष तक लग सकते हैं लेकिन उनके पूरा किये जाने में वास्तव में बहुत अधिक समय लग रहा है। नर्मदा नदि ने विवाद के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये मामले गुण-दौष के आधार पर निपटाये जाने चाहिये राजनितिक बातों के आधार पर नहीं। ऐसा न करने पर हमे प्रति वर्ष क्षति का सामना करना पड़ेगा। बाढो से प्रति वर्ष अनेक राज्यों को करोड़ो रूपयों की क्षति होती है।

ब्रह्मपुत्र नदि की बाढ़ की समस्या हमारे सामने स्वतन्त्रता प्राप्ति से है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस बात के आश्वासन दिये गये थे कि इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी लकिन इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

अब समय आ गया है जब हमे बुद्धिमत्तापूर्ण और नियोजित ढंग से बाढ़ों पर नियंत्रण करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अधिकतम धनराशि की व्यवस्था करने के बारे में हमे संकोच नहीं करना चाहिये।

Shri N. K. Sanghi (Jalore): The country is facing the problem of floods at present, Many parts of the country are inundated and Rajasthan is passing through a critical situation for the last three or four days because of the devasteting floods. I think the hon. Minister is aware of the situation caused by the floods in Jalore, Banswara, Dungarpur, Sirohi, Barmer and other areas.

I had an opportunity to talk with the people there and was informed that there was no place even for landing helicopters there. In view of the serious situation, I want to know as what emergency measures have been adopted to save the people from the on slaught of floods have the squads of the Air Force and Army informed them that they are not in a position to work there?

When the study-tea of the Government will go there and collect information regarding calossal losses suffered by the areas devastated by the floods. Thousands of houses in the villages in some districts have collapsed and standing crops have been damaged. When the relief-work will start? What is the latest report about the availability of food and medical aid to the people of these areas?

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : इस सभा में गत सप्ताह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के दौरान सिचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव ने उपदेश दिया कि चूंकि सरकारी व्यय से इस समस्या का पूर्णतया उन्मूलन नहीं होगा अतः लोगों को चाहिये कि बाढ़ के साथ जीना सीखें ।

यह सभी जानते हैं कि मध्य भारत में ताप्ती, नर्मदा और माहि तथा महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण भारी हानि होती है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बाढ़ नियंत्रण के लिये मार्च, 1981 की समाप्त होने वाले दशक के लिये एक योजना तैयार की है जिसमें इन नदियों पर बांधों के निर्माण का सुझाव दिया गया है । यह कहने की बजाय कि सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी, सिंचाई और विद्युत मंत्री का यह कहना वास्तव में निंदनीय है कि लोगों को बाढ़ के साथ रहना सीखना चाहिये ।

यदि सरकार उत्तर भारत में बाढ़ों और उनसे होने वाली हानि को रोकना चाहती है तो उसे गंगा को कावेरी से मिलाने के लिय सक्रिय कदम उठाने चाहिय ।

मंत्री महादय इस योजना की शीघ्र क्रियान्वीति के लिये व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें ।

Shri Natwarlal Patel (Mehsana) : I have toured Ahmedabad and found that in Ahmedabad, Baroach and certain other villages, the flood situation has assumed alarming proportion.

I am happy to say that the Chief Minister of the Gujarat state took immediate action to provide relief to tne people. I am told that the Government of Gujarat approached the Central Government for helicopters to control the situation but the Central Government did not show any interest.

A solution has to be formed out for controlling tne recurring feature of floods. So far as Gujarat and Madhya Pradesh are concerned, the only remedy is the Narmanda Project. If this project is executed hundreds of thusands of lives can be served. I think it will be delayed if the issue is referred to the tribunal. The Prime Minister snould herself give award in tne regard.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Every year we have a discussion on flood situation, Every year one part or the other in the country is flooded which cause losses worth hundreds of crores of rupees. Its permanent solution has to be found out.

One of the causes of the continuous floods is silting of rivers. The rivers should be de-silted so that their beds are widened and water may not overflow Neither tne Government of Madhya Pradesh not the Central Government nave provided any assistance for the losses suffered by Madhya Pradesh. I submit that the Government should provide immediate assistance to the area which are affected by floods.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । बाढ़ों के कारण देश में प्रति वर्ष अरबों रुपये की हानि होती है । फसलों की भी करोड़ों रुपयें की हानि होती है ।

हमें इस पर विचार करना है कि सरकार इस बारे में क्या कर सकती है । इस वर्ष आर्थिक संकट के कारण योजना क्रियान्वयन पर हमारे व्यय में से 400 करोड़ रुपये से अधिक कम करने का प्रस्ताव था । इसी संदर्भ में मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाता हूं कि अन्य तीन वर्षों के दौरान मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं को आरंभ करे ताकि देश में बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सके । उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश है जो लगभग तूफान से प्रभावित रहता है । मैं जानना चाहता हूं कि हालैंड के श्री फर्ग्यूसन ने हमारे आयोजकों को जो सुझाव दिये उन के बारे में कितनी प्रगति हुई है ।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

Shrimati Sabodrabai Rai (Sagar) : So many villages in the districts of Sagar, Damoh, Jabalpur in M.P. where Harijans and Adivasi are living on the banks of sonar, Basawan and Opra, have been affected badly by floods. Although our Chief Minister, Shri Sethi is providing relief but the centre has not given any assistance. I request the hon. Minister to provide helicopters to the state so that food materials may be dropped for the marooned people. More canals should be constructed to utilise the water of the Narmada and dams should be constructed to control the floods.

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : बहुत से माननीय सदस्यों ने नर्मदा के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये। यह एक ऐसा मामला है जिसका शीघ्र ही फैसला नहीं हो सकता। हमें आशा है कि सरकार इसे देश के हित के लिये शीघ्र ही निपटायेगी। कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि क्या राजस्थान नहर गुजरात के लिये उपयोगी होगी या नहीं। मुझे उसका उत्तर नहीं दिया गया। यदि उन नहरों को गुजरात में लाया जाये तो उत्तरी गुजरात के लिए सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पानी दिया जा सकता है।

गुजरात में निरन्तर बाढ आती रहती है। केवल नर्मदा की योजनाओं से ही समूचे राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। पर इस पर 20-25 वर्ष और लग सकते है। इस बीच हम बाढ़ से बचने के लिये क्या करने जा रहे है? सौराष्ट्र और कच्छ के समूचे तट पर प्रति वर्ष समुद्र का पानी कुछ मील अन्दर आ जाता है और वहां पानी खारा हो जाता है। फलस्वरूप वहां कुछ उग नहीं पाता। मंत्री महोदय बतायें कि गुजरात राज्य की इन समस्याओं का वह किस प्रकार हल निकालेंगे ?

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : In order to control the floods. I suggest that a Central Floods Control Commission be set up and it should consist of such memb rs as could give concrete suggestions to control floods.

This year floods devastated Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. In western Madhya Pradesh the floods disrupted the normal life. Loss worth Rs. 50 crores was sustained and human lives were also lost. In my constituency, Ujjain, 250 houses gave way.

There is bridge connecting Bombay with Madhya Pradesh which is low in level. Now it is submerged and traffic is disrupted. The reconstruction and elevation of the level of this bridge was sanctioned by the Central Government. If its level is elevated, Bombay and Madhya Pradesh would be linked up and continuous loss due to rains could be avoided.

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : पश्चिम बंगाल के बांकुश, मिदनापुर और बीरभूम जिलोंमें विनाशकारी बाढ़ आई है। बांकुरा जिले में भारी वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ का कोई कारण नहीं है। सितम्बर 1973 के "युगान्तर" में समाचार प्रकाशित हुआ है कि सोनामुखी और पतरासागर पानी में डूब हुए है। जो विस्थापित व्यक्ति दामोदर नदी के सूख स्थलों पर रह रहे थे वे पानी में फिर गए है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि भारी वर्षा और दामोदर घाटी निगम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। रायपुर क्षेत्र की कांसबाटी परियोजना से अन्धाधुंध जल छोड़े जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम और कांसबाटी बांधों पर जो जलाशय बनाये जाने थे उन्हें अभी तक नहीं बनाया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बाढ़ के खतरे को कम करने के लिये इन जलाशयों को शीघ्र बनाया जाये। विस्थापित और प्रभावित लोगों को खाद्य-सामग्री और भवन निर्माण सामग्री शीघ्र तथा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाये।

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bangali.

हम यह देखते रहे कि राहत समितियों में केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ही रखा जाता है। वे अपने इच्छानुसार तथा राजनीतिक उद्देश्यों से राहत सामग्री वितरित करते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि विरोधी दलों के सदस्यों को भी राहत समितियों में लिया जाये ताकि राहत उन्हीं लोगों को पहुंचाई जा सके जिन्हें उसकी आवश्यकता है।

Shri M. C. Daga (Pali) : I urge upon the hon. Minister to tour the flood affected areas in Rajasthan by helicopter alongwith the Ministers of Planning and Food to assess the flood situation.

May I know whether the Government has sent the study team or not? The flood affected people need relief. The district of Pali and Jawai Bandh are inundated. Financial assistance should be given to them immediately. The Minister of Irrigation should go to these areas and see the situation. The poor should get the money for building houses.

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : इस देश में बाढ़ की विभीषिका दैवी प्रकोप है। इस देश की बाढ़की विभीषिकापर सरकार नियंत्रण कर सकती है। आज गुजरात में जो स्थिति हैउसके बारे में मैं गुजराती समाचार-पत्रों से कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाता हूं।

(गुजराती में बोले)

(*Spoke in Gujarati*)

आज समूचा अहमदाबाद जलमय है तथा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते हैं।

मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सरकार राहत कार्यो पर करोड़ों रुपये खर्च करेगी। बाढ से करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस समस्या की उपेक्षा क्यों कर रहा है जबकि समूचे देश और राज्य को नर्मदा परियोजना की क्रियान्विति की आवश्यकता है। सरकार इसमें विलम्ब कर रही है। उत्तरी गुजरात में भी खाद्यान्न तथा मकानों को करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। मैं सरकारसे अनुरोध करता हूं कि वह सभी नदियों, विशेषकर नर्मदा और तापी की बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Even during the 25 years of independence we have not been able to control floods. Floods are causing havoc in different parts of the country. Floods in Ghagra and some rivers have devastated our area. Houses of poor people have collapsed, human lives have been lost and hundreds of cattle heads have perished. The people do not have foodgrains and drinking water. President's rule has been imposed in U. P. and we are not getting the amount of help which we used to get when the popular Government was there. Previously, we were badly affected by drought and now we are suffering from the onslaught of floods. The Government should provide immediate relief to the people who are in great distress.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है तथा अपने सुझाव दिए हैं।

गत माह 28 तारीख को उड़ीसा में गहरी घसकन हुई जो कि सुवर्णलेखा क्षेत्र तक पहुंच गई। दिनांक 29 को जबलपुर में और बाद में रतलाम, उज्जैन और अहमदाबाद में भारी वर्षा हुई। इस भारी घसकन तथा भीषण वर्षा के परिणामस्वरूप नर्मदा तथा अन्य नदियों में, जो गुजरात में बहती हैं, बाढ़ें आ गई। गुजरात के सदस्यों ने शिकायत की है कि वहां कोई बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं किया गया है। गुजरात में प्रत्येक नदी पर कुछ न कुछ कार्य किया गया है। उदाहरण के लिए, माही नदी पर दो बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है। गुजरात में सूरत को इस बार बाढ़ों का सामना नहीं करना पड़ा है। इसका कारण यह है कि ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना का निर्माण किया गया है। गुजरात में प्रत्येक बड़ी नदी के लिये एक अथवा अधिक परि- योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिन पर कार्य चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इन पर कुछ समय तो लगेगा ही।

[डा० के० एल० राव]

साबरमती के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। किन्तु यदि केवल धारी बांध का निर्माण 1976 तक पूरा हो जाता है तो पानी का बहाव कम हो जाएगा।

तमिलनाडु के कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे वक्तव्य का उल्लेख किया है कि हमें बाढ़ों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। हम बाढ़ों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अधिकाधिक संख्या में बांधों का निर्माण कर रहे हैं। 500 लाख एकड़ भूमि पर बाढ़ आती थी जिसमें से एक तिहाई भाग के सिलसिले में हमने नियंत्रण पा लिया है और हमारा यही प्रयास है कि अधिकाधिक भूमि को बाढ़ से बचाया जाए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह समय और धन की समस्या है और अगले दस वर्षों में हम इस क्षेत्र को बढ़ाने जा रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि 250 लाख एकड़ भूमि का संरक्षण किया जाए और इस शताब्दी के उन्तर तक हम कम से कम 70 प्रतिशत भूमि को बचा सकेंगे। 70 प्रतिशत से अधिक संभव नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक नदी पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमे रक्षात्मक उपाय और अन्य राहत उपायों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि हमें बाढों के साथ जीवन बसर करने का पाठ सीखना चाहिए। हमें इस आधार पर योजना बनानी चाहिए कि बाढें आएंगी। हमन बड़ी नदियोंका ध्यान तो रखा है किन्तु लघु नदियों, जैसे शिप्रा नदी आदि की बाढ़ों से काफी बरबादी होती है। हमें उन क्षेत्रों को जानना चाहिए जो बाढ़ग्रस्त होते हैं और जनधन की हानि को बचाने के लिए सभी सम्भव उपाय करने चाहिएं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पर शीघ्र ही चिकित्सा संबं ी तथा अन्य सुविधाएं मुहैया की जायें।

राजस्थान के माननीय सदस्य अध्ययन दल के बारे में पूछ रहे हैं। राजस्थान में दल को 6 सितम्बर को भेजा जाएगा। राजस्थान की पश्चिमी दिशा में दुर्भाग्यवश काफी वर्षा हुई है। राजस्थान में वर्षा का होना अच्छा है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह गलत स्थानों पर हुई है। राजस्थान में बाढ़ों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें राजघाट बांध जैसा बड़ा बांध है। इसके निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है और यह कार्य प्रारम्भ हो गया है। इसे पूरा होने में 5 वर्ष के लगभग लग जायेंगे। हम इस संबंध में बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक 350 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और आगामी पांच सालों में 300 करोड़ रुपये और व्यय करने की योजना है। अतः यह कहना सही नहीं कि हमने कुछ कार्य नहीं किया है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पिछले 7 वर्षों में चार भयंकर बाढ़ें आई ...

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : पर्यावरण शास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि बाढ़े वनों की कमी के कारण आती हैं। क्या इस बात का सिचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया गया है?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि वन पानी के बहाव को रोक लेते हैं और यह स्पष्ट है कि यदि वन अधिक हैं तो स्वभावतः बाढ़ें कम आऐंगी। हमने इस बारे में अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों के लोग इन हाल की बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : आप बाढ़ से प्रभावित इन लोगों की क्या सहायता करने जा रहे हैं?

डा० के० एल राव : हमें बड़े ध्यान से इस बारे में योजना बनानी होगी और इसके लिए मैंने राज्य सरकारों को बार-बार कहा है। हमें बाढ़ों के आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। इन्हें देश में किसी न किसी भाग में आना ही है, विशेषकर बिहार में किसी न किसी नदी में बाढ़ आएगी ही। हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिए।

गांधी सागर बांध को कोई खतरा नहीं। मैंने पानी को नीचे बहाने से मना किया है और उस पर नियंत्रण करने के लिए कहा है। अन्य बांधों के संबंध में भी स्थिति बद्तर है। रिहन्द जलाशय में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। रोचक बात तो यह है कि वहां का वाह-क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) 5,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और फिर भी इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, इसमें बिजली की भारी कमी है। बाढ़ के जल से उत्तर प्रदेश के कई भागों को भारी क्षति पहुंची है। गंगा नदी के वाह-क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में वर्षा का अधिकतम जल पटना से गुजरता है और एक दो दिनों में यह फरक्का बांध पहुंचता है और इससे अधिक क्षति पहुंच सकती है। इस वर्ष हमें सभी ओर से बाढ़ों के समाचार मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्षा के जल से काफी क्षति पहुंची है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाढों से होने वाली इस क्षति को बचाया जा सके। उदाहरण के लिए, उड़ीसा को लीजिए, जहां से कि वैतरणी, ब्रह्मणी और स्वर्णरेखा दरिया गुज़रते हैं। वहां पर बाढ़ों के दौरान भारी क्षति हुई और यदि बांध बन जाते हैं तो बाढें नहीं आएगी। केवल बांध का निर्माण पर्याप्त नहीं। हमें साथ तटबंध भी बनाने होंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : क्या आपको जलौर के संबंध में, जहां वर्षा के कारण लोग भारी संकट में पड़े हैं, कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : स्वर्णरेखा नदी के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की क्या स्थिति है ?

डा० के० एल० राव : जालौर के बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने बताया था कि जालौर जिले के लोग घर से बेघर हो गये हैं। परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में अद्यतन हालत जानना चाहता हूं।

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने बताया इस क्षेत्र में भारी वर्षा से कुछ लोग घर से बेघर हो गये है। मैंने अधिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये परन्तु सफलता नहीं मिली।

Shrimati Sahadrabai Rai (Sagar) : The Hoshangabad District in Madhya Pradesh is suffering due to floods.

डा० के० एल० राव : होशंगाबाद में इस वर्ष महान विनाश हुआ है। इस बारे में परियोजना शीघ्र शुरू की जायगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान के बाढ़ पीडित लोगों के लिए केन्द्र क्या सहायता कर रहा है।

डा० के० एल० राव : वहां पर एक दल 5 तारीख को जा रहा है।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : गुजरात में राहत के महान कार्यों के लिये हम मंत्री महोदय के आभारी हैं। परन्तु नर्मदा परियोजना की क्या स्थिति है ?

डा० के० एल० राव : इस बारे में स्थिति यह है कि यदि बारणी और नवगांव परियोजनाओं को लिया जाता है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से राहत मिलेगी। यदि बारणी परियोजना तैयार हो गई होती तो होशंगाबाद को इतनि क्षति न उठानी पड़ती। परन्तु इन कार्यों में कुछ समय लगेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : हमे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प समय में मंत्री सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। मैं प्रत्येक सदस्य को एक समय एक प्रश्न की अनुमति दूंगा। प्रश्न छोटे होने चाहिए। मंत्री महोदय यथा संमय उनका उत्तर देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Floods come every year and cause damage of property and life. Would the Government constitute a permanent flood control Commission to check the flood

डा० के० एल० राव : हमने कई आयोग नियुक्त किये थे। हमें पता है कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

MR, SPEAKER *in the Chair,*

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : What the policy of the Governmen' in respect of errosion sufferers?

डा० के० एल० राव : हमारी नीति उपयोगी क्षेत्रों के बचाने की है। सभी क्षेत्रों को बचाना बहुत महंगा पड़ेगा।

श्री मनोरंजन हाजरा (अरायबाग): क्या सरकार दामोदर घाटी परियोजना क्षेत्र में चार अन्य बांधों की क्या स्थिति है ?

डा० के० एल० राव : हमारा विचार था कि पहले अधिक जल संग्रह करके और निचली दामोदर योजनाओं के दोनों चरणों को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों के कहने पर गुजरात और राजस्थान के बारे में चर्चा स्वीकार की थी। परन्तु मेरी अनुपस्थिति में वाद-विवाद की परिधि अधिक व्यापक कर दी गई। परन्तु इसकी कुछ तो सीमा है

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय उत्तर देने को उद्यत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तो बहुत दयालु है। परन्तु 5-15 पर दूसरे मंत्री महोदय ने वक्तव्य देना है।

चावल के थोक व्यापार के सरकारी करण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TAKEOVER OF WHOLESALE TRADE IN RICE

अध्यक्ष महोदय : अब कृषि मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्री समर गुह : प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों तथा विरोधी नेताओं की बैठक में निर्णय हुआ था कि 6 तारीख को विभिन्न दलों की एक और बैठक होगी।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई वचन देगें।

चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TAKEOVER OF WHOLESALE TRADE IN RICE

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : चावल का थोक व्यापार लेने की नीति के सफल कार्यान्वियन के लिए न केवल परिचालनात्मक ब्यौरों का सावधानी के साथ विचार करने बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक पार्टियों के इस कार्य में पूर्ण रूप से शामिल होने और उनके सहयोग की भी आवश्यकता है। अत: राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श चल रहा है और अगली बैठक इस सप्ताह के उत्तरार्ध में होनी है।

2. अत: इन विचार विमर्शों के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर, वादविवाद को, जिसे आज 3 सितम्बर 1973 को पहले स्थगित किया गया था, अब पुन: आरम्भ किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :(**व्यवधान**) तो आप माननीय सदस्यों की बात सुनने देतें हैं और न मेरी बात सुनने देते हैं। एसा न करिये। वास्तव में पहले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उस पर पुन: चर्चा आरम्भ करने के लिये समय निर्धारित कर दिया गया था। दूसरा प्रस्ताव नियम 338 को निलम्बित करने के बारे में है तथा तीसरा प्रस्ताव इस बारे में किये गये निर्णय को रद्द किये जाने के बारे में है।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय द्वारा चर्चा स्थगित किये जाने के प्रस्ताव के पूर्व श्री मधु लिमये ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसमें खण्ड 125, 108, 109, 110 और 144 पर पुनर्विचार के लिये चर्चा को स्थगित करने की मांग की गई थी जिसे सभा ने अस्वीकृत कर दिया। अत: इससे मंत्री महोदय की चर्चा स्थगन की मांग का उद्देश्य समाप्त हो गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On a point of order, Sir If this facility is given to the Minister, you will have to provide the same to the members also, particularly the members of the opposition parties. It would be a bad precedent.

This Bill was referred to select committee. It was also discussed in Rajya Sabha. In the stage of third reading the hon. Minister wants to reconsider clause 125 which has already been passed in contravention of rule 338 of rules of procedure. I request that this Bill should not be taken in this session.

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय तो सभा ने करना है।

श्री एस० ए० शमीम : महोदय, यदि खण्ड 125 के बारे में कुछ शंका; व्यक्त की गई है तो संसद् को विधेयक पर चर्चा के दौरान उस खण्ड पर पुनर्विचार करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि न्यायालयों ने भी नए तथ्यों का उद्घाटन होने पर किसी फैसले पर पुन: विचार करने का अधिकार है।

श्री जी० विश्वनाथन् : नियमानुसार मंत्री महोदय उस खंड में कोई संशोधन नहीं कर सकते जिसे सभा ने पारित कर दिया है।

श्री दिनेश जोरदर : यदि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में उसकी अनुमति है तो खण्ड 125 पर पुनर्विचार करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति में उन सभी खण्डों पर पुनर्विचार होना चाहिये जिनके बारे में आपत्तियां की गई हैं।

श्री बी० वी० नायक : संसद् का यह आशय कभी नहीं था कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का नियम संख्या 338 का कभी उपयोग ही न किया जाए। यह नियम वर्तमान परिस्थिति जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को निपटाने के लिये बताया गया था।

श्री बी० आर० शुक्ल : नियम 338 किसी विधेयक पर विचार करने तथा उसे वापस लेने के बारे में लागू नहीं होता। इसके बारे में अन्य उपबन्ध हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर सभा ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया है। अतः सभा को किसी भी स्तर पर इस मामले में विचार करने का पूर्ण अधिकार है।

श्री डी० एन० तिवारी : दो प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः अन्य प्रस्तावों पर विचार का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

श्री इब्राहीम सुलेमान सट (कोजीकोड़) : अभी तक विधेयक को अंतिम रूप से पारित नहीं किया गया। यदि सरकार समझती है कि उससे कोई मौलिक त्रुटि हो गई है तथा वह उसे दूर करने की अनुमति चाहती है तो सभा को उसमें उदारता बरतनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि यदि एक खण्ड पर पुनर्विचार करने की अनुमति न दी जा सके तो अन्य खण्डों पर भी पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा : हम चाहते थे कि यह विधेयक इसी सत्र में पास हो जाए किन्तु अब ऐसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि विधेयक को अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : हम चाहते हैं कि उसे अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाए।

Shri Madhu Limaye : Sir, it should be on record that reconsideration of clauses 106, 108, 109, 110 and 144 along with clause 125 would be taken up whenever this matter is brought in the House. (*Interruptions*)

Shri Atal Bihari Vajpayee : The motion of reconsideration of clause 125 should be moved after the permission of the House in the next session.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय भी उसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा मैंने किया था। अतः नियम 338 को निलम्बित किये बिना उनका प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं हो सकता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अजीब स्थिति है। श्री चटर्जी, आप नियम 338 के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने के सभा के निर्णय को रद्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने के सभा के निर्णय को रद्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : दूसरा प्रस्ताव पूर्व निर्णय को रद्द करने के बारे में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा तीसरा प्रस्ताव यह होना चाहिये कि विधेयक को अगले सत्र तक स्थगित किया जाए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किये जाने के प्रस्ताव को, जो मैंने दिन में पहले पेश किया था, अस्वीकृत किये जाने के सभा के निर्णय को रद्द किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किये जाने के प्रस्ताव को, जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने दिन में पहले पेश किया था, अस्वीकृत किये जाने के सभा निर्णय को रद्द किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर वादविवाद को अगले सत्र तक स्थगित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

COKING AND NON-COKING COAL MINES (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कोककारी कोयलाखान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न कोयला खानों के विवरण में कुछ मामूली त्रुटियाँ ध्यान में आई हैं जिन्हें दूर किये जाने का विचार है ।

हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि कोककारी कोयलाखानों के प्रशासन काल में मजूरी और अन्य रूप में उनकी ओर मजदूरों की भारी राशि बकाया थी । इतने अधिक श्रमिकों को उनके दावों की आदायगी के बारे में हम कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार देना चाहते हैं । इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में
RE : SHORT NOTICE QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने एक अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया है तथा मंत्री महोदय ने उसे स्वीकार कर लिया है। क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिये? मेरे विचार से मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य को इस अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 4 सितम्बर, 1973/13 अश्विन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 4th September, 1973/*Asvin* 13, 1895 (*Saka*)

MGIPN—S4—26 L.S.S./73—29-12-73—490